आज़ादी का अमृत महोत्सव

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2020-21

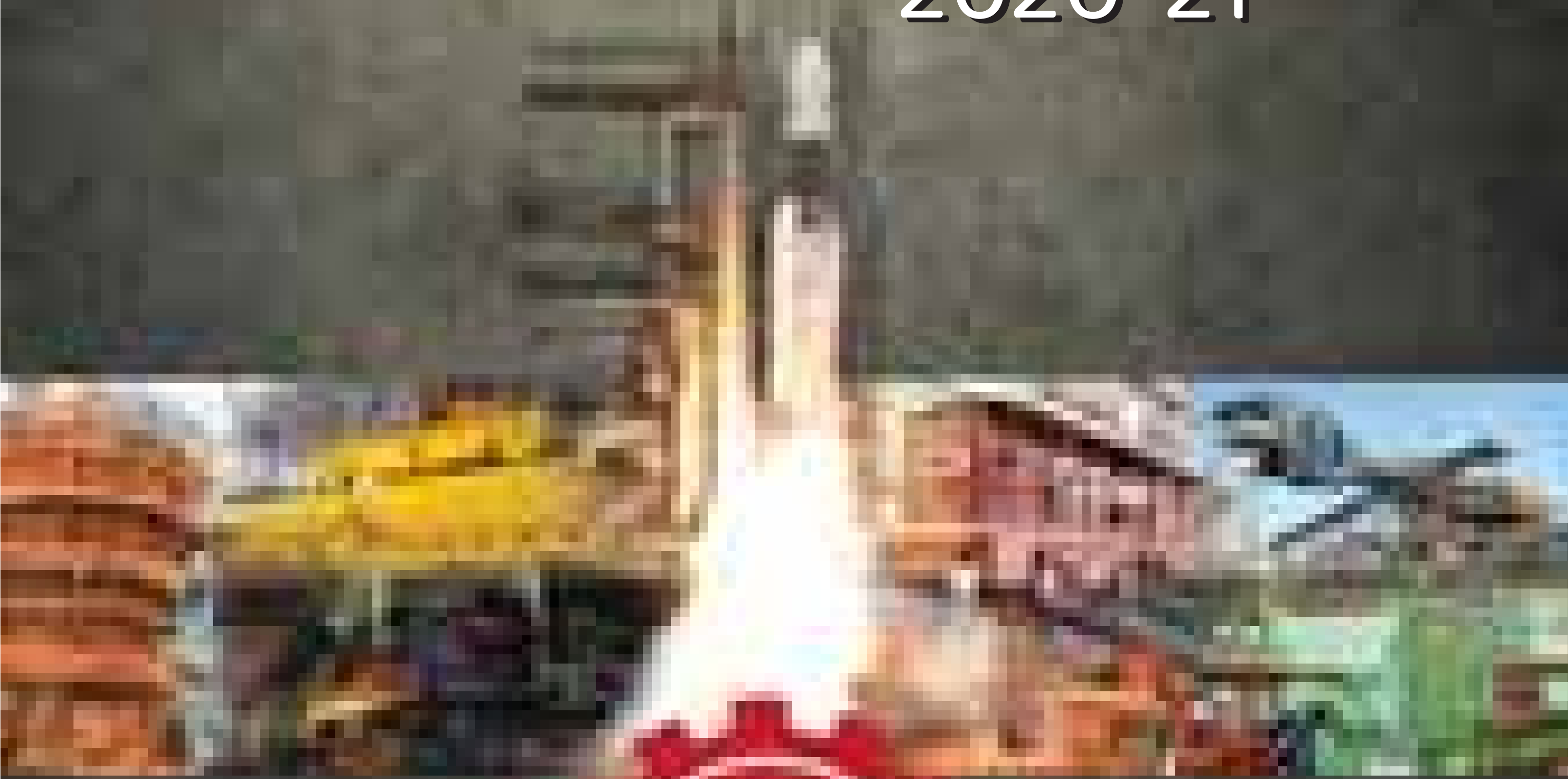

HEC Builds Machines
That Build the Nation

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)

एच. ई. सी.

गुणवत्ता नीति

ग्राहक की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पादों, प्रणालियों एवं सेवाओं के विश्वसनीय सप्लायर के रूप में अग्रणी स्थान प्राप्त करना तथा उसे बनाये रखना

Quality Policy

To achieve and maintain a leading position as supplier of reliable quality products, systems and services to meet customer needs and expectations

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
HEAVY ENGINEERING CORPORATION LTD.

निदेशक मंडल

(15.12.2021 के अनुसार)

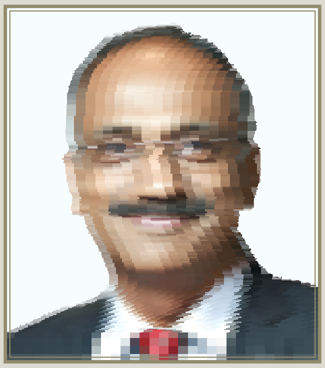

डॉ नलिन सिंघल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

अरून्धती पंडा
निदेशक (वित्त)

मृदुल कुमार सक्सेना
निदेशक (कार्मिक)

डॉ राणा शुभाषीश चक्रवर्ती
निदेशक (विपणन)
एवं निदेशक उत्पादन (अति. प्रभार)

जितेन्द्र सिंह
जे एस/एम एच आई एवं निदेशक (एचईसी)

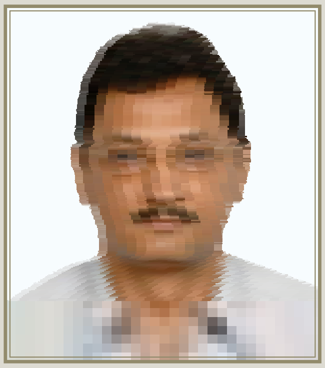

राजेश कुमार
सीसीए/एम एच आई एवं निदेशक (एचईसी)

प्रभा दुबे
निदेशक

कमल किशोर नायक
निदेशक

रविन्द्र गोले
निदेशक

अभय कुमार कंठ
कम्पनी सचिव

एचईसी में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव, श्री अरुण गोयल को गार्ड ऑफ ऑनर।

श्री अरुण गोयल, सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एचईसी मुख्यालय में वृक्षारोपण।

अनुक्रमणिका

1. वार्षिक आम सभा की सूचना 2

2. निदेशको का प्रतिवेदन 3

– अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी समावेश, समायोजन, इनोवेशन और ऊर्जा संरक्षण 11

– निगमित शासन की रिपोर्ट 12

– प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन 18

– लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का उत्तर 20

– नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं प्रबंधन का उत्तर 34

– वार्षिक रिटर्न का एक्सट्रैक्ट (फार्म नं. एम.जी.टी.–9) 35

3. वार्षिक लेखा 39

– अंकेक्षित लेखा टिप्पणियों के साथ

निदेशक मंडल

(15.12.2021)

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक	: डॉ. नलिन सिंघल
निदेशक (वित्त)	: श्रीमती अरून्धती पंडा
निदेशक (कार्मिक)	: श्री मृदुल कुमार सक्सेना
निदेशक (विपणन) एवं निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार	: डॉ. राणा शुभाशीष चक्रवर्ती
निदेशक	: श्री जितेन्द्र सिंह (जेएस/एमएचआई)
	: श्री राजेश कुमार (एमएचआई)
	: श्रीमती प्रभा देवी
	: श्री कमल किशोर नायक
	: श्री रविन्द्र गोले
कम्पनी सचिव	: श्री अभय कुमार कंठ
सांविधिक लेखा परीक्षक	: मेसर्स लोधा वाधवा पटेल एण्ड कम्पनी (चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स)
बैंकर्स	: भारतीय स्टेट बैंक
पंजीकृत कार्यालय	: प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा, रॉंची–834004 (झारखण्ड)

वार्षिक आमसभा की सूचना

एतद् द्वारा हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 62वीं वार्षिक आमसभा बुधवार, दिनांक 15.12.2021 को पूर्वाह्न 03.00 बजे, शॉर्टर नोटिस पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियो विजुअल के माध्यम से निम्नलिखित करोबार के संपादन के लिए प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा, राँची-834004 में स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय होगी :

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तिय विवरण उसके साथ शेयरधारकों हेतु निदेशकगण का प्रतिवेदन, उस पर अंकेक्षक रिपोर्ट एवं सी एण्ड ए जी की टिप्पणी को प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।
2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत् सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के अन्तर्गत सांविधिक अंकेक्षक का पारिश्रमिक निश्चित करना।

विशेष व्यवसाय

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 148 और अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए नियुक्त किये गए कॉस्ट ऑडिटर को देय पारिश्रमिक की पुष्टिकरण।

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 102 के व्याख्यात्मक विवरण

कंपनी को लागत लेखाकार द्वारा अधिनियम की धारा 148, कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 (''नियम'') के साथ पढ़ा, के तहत व्यवहार में लागत लेखाकार द्वारा संचालित लेखा परीक्षा की आवश्यकता है।

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की ऑडिट करने के लिए लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक को मंजूरी दी है।

कंपनी अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों, के साथ पढ़े गए कंपनी (ऑडिट एंड ऑडिटर) नियम, 2014 के अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। इसके अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए एजेंडा नोट में निर्धारित एक साधारण प्रस्ताव पारित करने के लिए सदस्यों की सहमति मांगी जाती है।

कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशकों ने सदस्यों के अनुमोदन के लिए उपरोक्त संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अनुशंसित किया।

बोर्ड के आदेशानुसार

(अभय कुमार कंठ)
कम्पनी सचिव

दिनांक : 30.11.2021

नोट :

(1) वर्तमान कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 (सामूहिक रूप में ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में जाना जाता है।'') ने एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') की अनुमति दी। कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के एजीएम को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं।

(2) उपरोक्त एमसीए परिपत्र के अनुसार, प्रॉक्सी नियुक्ती की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार इस बैठक के लिए प्रॉक्सी नियुक्ती की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

निदेशकीय प्रतिवेदन

सेवा में,
शेयरधारकों
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

देवियों एवं सज्जनों,

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने 62 साल पूरे कर लिए हैं और कंपनी के निदेशक मंडल प्रसन्नता के साथ आपके समक्ष 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तिय वर्ष की 62वीं वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित लेखा के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. प्रदर्शन के मुख्य बातें :

वित्त वर्ष 20-21 में, कंपनी को कुल मिलाकर लगभग 1421 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड ऑर्डर मिले। ऑर्डर में मुख्य रुप से आकांक्षा के लिए विशेष फार्जिंग, थर्मल पावर प्लांट के लिए फैब्रिकेटेड स्टील, कोड हैंडलिंग प्लांट के लिए उच्च मूल्य के ऑर्डर और इसरो के लिए हेवी फैब्रिकेशन शामिल हैं।

हालाँकि, दूसरी ओर, लंबित उन्नयन/आधुनिकीकरण के साथ-साथ कार्यशील पूंजी के गंभीर तनाव और COVID-19 के प्रभाव ने कंपनी वित्तीय प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और यह पिछले वर्ष रु. 132.68 करोड़ के मुकाबले रु. 202.76 करोड़ का मामूली सुधार प्राप्त किया। पुरानी मशीनरी के बार-बार ब्रेक डाउन से ऑर्डर का निष्पादन प्रभावित हुआ जबकि अप्रत्यक्ष रुप से नकदी प्रवाह चक्र भी प्रभावित हुआ है। कंपनी ने कुछ महत्वपूर्ण मशीनरी के रखरखाव के प्रयास किए हैं, जिसका प्रभाव भविष्य के वर्षों में देखने को मिलेगा।

2. उत्पादन एवं बिक्री

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के लिए उत्पादन और सकल कारोबार के आंकड़े और समझौता ज्ञापन लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2020-21		2019-20	
	समझौता ज्ञापन	वास्तविक	समझौता ज्ञापन	वास्तविक
कारोबार	404.51	202.76	600.02	132.68
उत्पादन	409.79	252.43	559.32	158.29

3. वित्तीय परिणाम

लक्ष्य और पिछले वर्ष की तुलना में उपलब्धि का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2021-21		2019-20	
	समझौता ज्ञापन	वास्तविक	समझौता ज्ञापन	वास्तविक
सकल मार्जिन	-128.98	-193.72	-19.92	-363.89
ब्याज	25.79	27.49	24.11	24.24
मूल्यह्रास	7.86	6.06	8.28	7.34
असाधारण मद व्यय (+)/आय (-)	0.00	2.52	0.00	9.90
असाधारण मद से पूर्व लाभ	-162.63	224.75	-52.30	-405.37
असाधारण मद आय (+)/व्यय (-)	0.00	48.97	0.00	0.00
कर पूर्व लाभ	-162.6	-175.78	-52.30	-405.37
कर	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध लाभ	-162.63	-175.78	-52.30	-405.37
नकद लाभ (असाधारण मद पूर्व)	-162.63	-224.75	-52.30	-405.37

मूल्यह्रास, ब्याज, कर, पूर्व अवधि और असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ का

31.03.2021 को कंपनी की इक्विटी पूंजी भुगतान 606.07 करोड़ रुपये है, जबकि नेटवर्थ (-) 582.25 करोड़ रुपये पर है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने केंद्र और राज्य के खजाने में पिछले वर्ष 18.59 की तुलना में इस वर्ष 4.03 करोड़ का योगदान दिया।

वर्ष	कुल करोबार (करोड़ रु.)	उत्पादन (करोड़ रु.)	प्रति कर्मचारी कारोबार (लाख रु.)	शुद्ध लाभ (करोड़ रु.)
2008-09	417.39	419.47	14.55	18.37
2009-10	496.56	537.72	17.30	44.27
2010-11	640.90	700.55	23.14	38.14
2011-12	681.61	687.74	28.35	8.58

वर्ष	कुल करोबार (करोड़ रु.)	उत्पादन (करोड़ रु.)	प्रति कर्मचारी कारोबार (लाख रु.)	शुद्ध लाभ (करोड़ रु.)
2012-13	682.83	676.77	28.58	20.38
2013-14	384.02	447.71	18.88	299.31
2014-15	361.58	319.58	20.61	(-) 241.68
2015-16	374.48	340.68	24.19	(-) 144.77
2016-17	390.11	364.84	26.81	(-) 82.27
2017-18	399.02	393.37	28.29	446.00
2018-19	356.21	340.22	23.42	-93.67
2019-20	132.68	158.29	9.92	-405.37
2020-21	202.76	252.43	14.75	-175.78

लाभांश की गैर घोषणा

वित्तिय वर्ष 2020-21 के दौरान कर पश्चात लाभ (-)175.78 करोड़ रुपये है एवं दिनांक 31.03.2021 को नेटवर्थ (-)582. 25 करोड़ रु. है। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय के द्वारा ओ.एम. नं. 5.2.2016 नीति दिनांक 27.05.2016 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशानुसार केंन्द्रीय लोक उपक्रमों को कर पश्चात लाभ का 30% या नेटवर्थ का 5% जो भी उच्च है, का भुगतान करना होता है। तथापि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी लाभांश भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है।

4. विपणन गतिविधियां

एचईसी ने 1421 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऑर्डर बुकिंग हासिल की, 436 करोड़ रुपये के अपने वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले।

ईपीसी परियोजनाओं को निष्पादित करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए, एचईसी तीन कोल हैंडलिंग प्लांट का आदेश एनसीएल, एसईसीएल और सीसीएल से सुरक्षित कर सकेगी। वर्ष के दौरान प्राप्त प्रमुख आदेशों का विवरण इस प्रकार है :

ब्लॉक-बी ओसीपी, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट (4.5 एमटीपीए इंक्रीमेंटल)।

गेवरा, साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में कोल हैंडलिंग प्लांट प्रोजेक्ट; एसईसीएल की एक विस्तार परियोजना जोअपनी क्षमता 35 एमटीपीए से बढ़ाकर 70 एमटीपीए करेगी।

मगध ओसीपी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के लिए 20 एमटीपीए क्षमता के कोल हैंडलिंग प्लांट।

एचईसी ने रक्षा क्षेत्र में भारी मशीन टूल्स के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त किए। इसमें हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन (बीएच100एचडी), सीएनसी हैवी ड्यूटी लेथ (एलसी 140एन/एचडी) और लेथ (एलसी 125) की मरम्मत का ऑर्डर शामिल है। मुख्य युद्धक टैंकों में इस्तेमाल होने वाले बुर्ज कास्टिंग का ऑर्डर भी इसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ था।

अंतरिक्ष क्षेत्र में, एचईसी ने मोबाइल लॉन्च पेडस्टल के लिए एक और ऑर्डर प्राप्त किया, जो इसरो की दूसरी लॉन्च पैड परियोजना के विस्तार का हिस्सा है, जिसका उपयोग गगनयान 2022 जैसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों में किया जाएगा। 800T के अनुमानित वजन के साथ, इसे निर्माण के दौरान सहिष्णुता की निकट नियंत्रण की आवश्यकता होगी।

स्टील और खनन क्षेत्र में एचईसी द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों के लिए स्पेयर ऑर्डर के अलावा, एचईसी ने बेल एंड हॉपर और हॉलो शाफ्ट जैसे आयात-प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए भी ऑर्डर प्राप्त किए, जिसके लिए एचईसी के पास इंजीनियरिंग और निर्माण क्षमता है।

हाथ में आदेश

31.03.2021 को आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक में ऑर्डर रु. 2142.37 करोड़

व्यवसाय विकास पहल :

एचईसी ने विविध क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन किया :

(ए) मैसर्स ओजेडपीवी चरणबद्ध तरीके से कास्ट रोल्स के स्वदेशी निर्माण के लिए।

(बी) आरमर्रड वाहन के निर्माण के लिए मैसर्स श्लाडॉट, इज़राइल।

5. परियोजना गतिविधियां

नए कोयला संचालन संयंत्र (पीकेजी.-062) की स्थापना, बीएसपी

सितंबर 20 में आयोजित प्रदर्शन गारंटी (पीजी) परीक्षण और परियोजना के समापन को चिह्नित करते हुए 16.01. 21 को बीएसपी, भिलाई इस्पात संयंत्र से पीजी प्रमाण पत्र प्राप्त हआ है।

मेघाहातबरु (सेल) में तृतीयक क्रशिंग सिस्टम की स्थापना

परियोजना के लिए प्रारंभिक स्वीकृति प्रमाण पत्र 17.10.2020 को प्राप्त हआ है। परियोजना के लिए 16.03.2021 को कमीशन प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है और संयंत्र वाणिज्यिक संचालन के अधीन है।

COVID-19 प्रतिबंधों के कारण संयंत्र के प्रदर्शन गारंटी परीक्षण में देरी हुई। पीजी टेस्ट 2021-22 में होने की उम्मीद है।

कोल हैंडलिंग प्लांट 4.0 एमटीपीए कृष्णाशिला परियोजना एनसीएल परियोजना का

प्रारंभिक स्वीकृति प्रमाण पत्र 31.03.2021 को प्राप्त हुआ है। प्लांट व्यवसायिक तौर पर चल रहा है।

मधुबंद कोल वाशरी परियोजना, बीसीसीएल

कोविड और अन्य कारणों से कार्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई। परियोजना को 2021-22 में पूरा करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है।

ब्लॉक-बी ओसीपी नॉर्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड में कोल हैंडलिंग प्लांट (4.5 एमटीपीए)। सिंगरौली

आदेश 05.01.2021 को प्राप्त हुआ

गेवरा में कोल हैंडलिंग प्लांट (एसईसीएल)

आदेश 05.02.2021 को प्राप्त हुआ।

मगध में कोयला संचालन संयंत्र (सीसीएल)

07.01.2021 को प्राप्त पुरस्कार का पत्र

वर्ष 2020-21 के दौरान बिक्री कारोबार नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	परियोजनाका नाम	मूल्य (लाख रुपये में)
1	नया ओबीबीपी, पैकेज-090, आरएसपी	2870.98
2	नया सीएचपी, पैकेज -062, बीएसपी	3485.52
3	एमआइओएम, सेल	195.36
4	केएसएल, सीएचपी, एनसीएल	1930.39
5	मधुबंद वाशरी, बीसीसीएल	1075.55

6. एमएसएमई से खरीद

कम्पनी एमएसएमई, एनएसआईसी और एसएसआई फर्मों से खरीद पर जोर देती है। वर्ष के दौरान एमएसएमई, एनएसआईसी और एसएसआई फर्मों से खरीद रु. 33.30 करोड़ का रहा है।

7. सुरक्षा, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण

हमेशा की तरह, आपकी कंपनी, पेशेवर सुरक्षा और कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा महत्व देती है। कर्मचारियों के बीच सुरक्षा चेतना को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वैधानिक नियमों के अनुसार नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वैधानिक नियमों के अनुसार नियमित रूप से संपूर्ण चिकित्सा जांच संचालित किए जाते हैं। कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण जैसे हाथ के दस्ताने, चश्मे, सुरक्षात्मक कपड़े, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी जूते आदि दिए जाते हैं। कंपनी पर्यावरण प्रदूषण से समझौता नहीं करती है इसलिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीचे वर्णित सभी सावधानियां करती जाती है।

1. सुरक्षा प्रमुख संकेतक (खतरों को पहचान, असुरक्षित स्थिति एवं निकटस्मरण) एवं मुख्य अंतराल संकेतक (जैसे काम करते समय उपकरण के सुरक्षा का उल्लंघन) की पहचान करने के लिए शाप फ्लोर का दैनिक निरक्षण।

2. क्लास रूम प्रशिक्षण के साथ-साथ शाप फ्लार पर भी TWI एवं टूल बाक्स के प्रशिक्षण के अन्तर्गत कोई विषयों का टॉक है।

स्लीप, ट्रीप एवं फाल	J.S.P. (जैसे और जब आवश्यक हो)
HMI (कार्य का आदेश)	RCA (दुर्घटना विश्लेषण के मुल कारण)
ऊँचाई पर काम	व्यक्तिगत सुरक्षा
संयंत्र के अंदर सड़क सुरक्षा	PPES का प्रयोग

3. कारखानों के निरीक्षण, राँची, झारखण्ड को दुर्घटना की रिपोर्टिंग एवं दुर्घटना से बचने हेतु रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए मूल कारण विश्लेषण की जाँच।

4. सुरक्षा संस्कृति विकसित करने के लिए त्रैमासिक ''प्लांट सेफ्टी कमेटी'' का संचालन, यह एक ऐसा मंच है जहां कर्मी एवं प्रबंधन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं एवं समाधान में सहयोग कर सकते हैं।

5. वर्तमान स्थिति एवं खतरों की पहचान हेतु प्रबंधन योजना के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का ऑडिट किया जा रहा है ताकि निवारक एवं सुधारात्मक आय किया जा सके।

स्वाथ्य एवं पर्यावरण

क) श्रमिकों के स्वास्थ्य संरक्षण, नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए कारखाना अधिनियम के अनुसार वैधानिक प्रावधान का पालन।

ख) परिवेशी वायु एवं ढेर की गुणवत्ता की निगरानी।

ग) दैनिक आधार पर ए.बी. एवं सी नालियों के माध्यम से निकली पानी की गुणवत्ता की निगरानी।

घ) एचईसी के क्षेत्र को हरा भरा रखने एवं प्रदूषण को कम करने के लिए वन विभाग की मदद से नियमित रूप से वृक्षारोपण गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

ङ) स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमों के तहत कई स्वास्थ्य एवं पर्यावरण गतिविधियों को कवर किया जा रहा है।

च) वायु एवं जलप्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए TSPCB द्वारा ही गई शर्त को लागू करना।

छ) प्रदूषकों के लिए नियमित रूप से पानी के प्रवाह के नमूनों का परीक्षण, जिसके आधार पर अंतर्देशिय निकाय में पानी के निर्वहन के लिए सहमती प्रदान की जाती है।

- **संयुक्त बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सीईपीटी)** डिस्चार्ज से पहले प्रोडयूसर गैस प्लांट से निकलने वाले फिनोल पानी और अन्य तरल बहिःस्राव के उपचार के लिए एफएफपी मैलगाया गया है। साथ ही यह संयंत्र दूषित पानी के पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

8. कार्यबल की स्थिति

31 मार्च 2021 को कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 1374 है जबकि 31 मार्च 2020 को यह 1421 थी। वर्ष के 2020-21 में कंपनी में कोई भर्ती नहीं हुई।

9. औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, औद्योगिक संबंधों का माहौल आमतौर पर सामान्य रहा।

10. कर्मचारी कल्याण

कंपनी का अपना आवासीय टाउनशिप है, जहां मेडिकल डिवीजन के तहत वेलनेस सेंटर नियमित और साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करता है। नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया जाता है। ठेका श्रमिकों को ईएसआई योजना के तहत चिकित्सा लाभ भी दिया जा रहा है, जिसके लिए कंपनी दवारा संबंधित ठेकेदारों को सदस्यता राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेलनेस सेंटर/मेडिकल डिवीजन में ओपीडी और निरीक्षण सुविधाओं के माध्यम से चिकित्सा लाभ दिया जाता है।

11. मानव संसाधन विकास

कंपनी मानव संसाधन विकास को अत्यधिक महत्व देती है। COVID-19 महामारी के कारण, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी की बैठकें/प्रशिक्षण सत्र वस्तुतः आभासी रूप से आयोजित किए जाते हैं। प्रबंधन विकास कार्यक्रमों जैसे कार्य सेवा प्रक्रियाओं, हीट ट्रीटमेंट (एचटी), सीडीए नियम 1981, नए श्रम संहिता से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, सतर्कता जागरूकता, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता आदि के आयोजन द्वारा योग्यता विकास पर जोर दिया था।

एचईसी तकनीकी संस्थान (एचटीआई) कंपनी द्वारा संचालित है जहां छात्रों को तकनीकी पाठ्क्रम से संबंधित 2 साल की शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री धारकों को एक वर्ष का शिक्षुता प्रशिक्षण दिया जाता है। कंपनी स्थानीय/जनजातीय छात्राओं के लिए एचईसी वेलनेस सेंटर में जीएनएम पाठ्क्रम भी चला रही है।

12. एचइसी में अपरेंटिस एक्ट 1961 (समय–समय पर संशोधित) के तहत निम्नलिखित योजनाओं लागू हो रहे हैं।

1. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीस)
2. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीस)
3. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)

उपर्युक्त योजनाओं में डिग्री, डिप्लोमा, आई.टी.आई. और मैट्रिक अहर्ता प्राप्त उम्मीदवारों को विभिन्न विषयों/व्यापारों में कक्षा/कार्यशाला/इन-प्लांट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

शिक्षु अधिनियम का अनुपालन

समूह	स्वीकृत शक्ति प्रशिक्षु सीटों की संख्या	2020-21 के दौरान प्रशिक्षुओं की संख्या
सीटीएस	164	160
एटीएस	183	76
एनएटीएस	169	125

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम एचईसी प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं। उपरोक्त संख्या उक्त अधिनियम की आवश्यकता के अनुरूप है।

उपरोक्त के अलावा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम भी भारत सरकार के कौशल विकास मिशन के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं।

13. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की स्थिति

i. 31.03.2021 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 301 और 309 थी।

ii. कुल कर्मचारियों की तुलना में एससी तथा एसटी कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः 21.90% और 22.48% था।

14. हिन्दी का प्रगतिशील उपयोग

राजभाषा विभाग भारत सरकार के निर्देशों के तहत व्यापक कार्यान्वयन के लिए एक आवश्यक प्रयास के रूप में पूरी कंपनी में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देता है। वर्ष के दौरान कंपनी ने राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा दिया। हिंदी को एक व्यावहारिक भाषा के रूप में जानने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित और प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस संबंध में, परिपत्र या तो हिंदी में जारी किए जाते हैं या द्विभाषी होते हैं।

15. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (आईडब्ल्यूडी) के समारोह

एचईसी में हर साल 08 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निदेशक (वित्त) श्रीमती अरुंधति पांडा की अध्यक्षता में मनाया गया। जहां बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया था। इस वर्ष का विषय "चुनौती का चुनाव" था

16. एचईसी दिवस समारोह

15 नवंबर 2020 को एचईसी दिवस पूरे जोश के साथ मनाया गया।

17. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस/सप्ताह का आयोजन

आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस वर्ष कर्मचारियों को आयुष मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (अर्थात यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, आदि) पर जाने के लिए प्रोत्साहित करके और टीवी चैनलों के साथ भागीदारी करके गैर-संगठनात्मक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) और अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसका प्रचार करना और इस कार्यक्रम के बारे में दूसरों को प्रेरित करना।

18. स्वच्छ भारत मिशन

एचईसी में स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के लिए समय-समय पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा था और एचईसी के विभिन्न संयंत्रों/मंडलों और एचईसी टाउनशिप में और 16.08.2020 से 31.08.2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाकर इस मिशन पर जोर दिया गया था। सभी कर्मचारियों/ठेकेदारों/छात्रों/आम जनता आस-पास के गाँव को शामिल किया गया। इस गतिविधि के तहत एचईसी की विभिन्न इकाइयों में निम्नलिखित उपाय किए गए:

i) सभी कर्मचारियों/ठेके कर्मचारियों ने स्वच्छ भारत की शपथ ली।

ii) प्लांट स्तर पर, अंतर-दुकान/विभाग में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ दुकान पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

iii) प्लांट एवं अन्य संभागों में पड़ी अप्रचलित/अनुपयोगी वस्तुओं की पहचान एवं निपटान के लिए कार्रवाई की गई।

iv) संयंत्रों में सामग्री/वस्तुओं पर नेम बोर्ड लगाने के लिए अभियान चलाया गया।

v) सभी दुकानों, मुख्यालय और वेलनेस सेंटर में रखे गये डिस्पोजल/कचरा डिब्बे की सफाई की गई है। प्रत्येक दुकान, मुख्यालय और वेलनेस सेंटर में दो प्रकार के कूड़ेदान-एक बायोडिग्रेडेबल के लिए और दूसरा नॉन-बायोडिग्रेडेबल के लिए उचित रंग और उस पर लिखे निर्देशों के साथ रखा गया है।

vi) इस अभियान में सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और बैनरों से सुसज्जित एक वाहन एचईसी टाउनशिप में और उसके आसपास चला गया था जिसके माध्यम से स्वच्छता के बारे में व्यापक रूप से लोगों को संदेश दिया गया है। वर्तमान COVID-19 महामारी के दौरान, हमने कर्मचारियों और आसपास के गांवों/बस्ती के निवासियों के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा की है। साथ ही कारखानों (संयंत्रों)/मंडलों के कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल, दुकानों के आस-पास और अपने भवनों के परिसरों की सफाई करने के लिए लामबंद किया गया।

19. मुफ्त चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर और नेत्र शिविर

एचईसी प्लांट हास्पिटल द्वारा समय-समय पर एचईसी एवं एचईसी के आसपास निकटवर्ती ग्रामीणों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के बीच स्वास्थ्य में सुधार के लिए निःशुल्क चिकित्सा स्वस्थय शिविर का आयोजन किया गया है।

20. वृक्षारोपण अभियान

एचएमबीपी, एफएफपी, एचएमटीपी, एचईसी प्रशिक्षण केंद्र, एचईसी प्लांट हॉस्पिटल और टाउनशिप में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया जहां निदेशक, प्लांट हेड तथा अन्य कर्मचारियों ने पौधे लगाए और एचईसी के हरित वातावरण में और हरियाली बढ़ाने में योगदान दिया।

21. ऑनलाइन वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट

कार्यालयों को कागज रहित बनाने के लिए ऑनलाइन वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट और वार्षिक संपत्ति रिटर्न का उपयोग किया जा रहा है।

22. COVID-19 के प्रसार के कारण भारत सरकार ने इसे एक महामारी घोषित किया है और समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनका हमारी कंपनी में कड़ाई से पालन किया गया है। आपातकालीन और आवश्यक सेवाएं जैसे कि बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, चिकित्सा सेवाएं, टाउनशिप क्लीनिंग, आदि हमारे कर्मचारियों द्वारा उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित सभी एहतियाती उपायों के साथ बनाए रखी गई थीं, जैसे कि चेहरे के मास्क पहनना, हाथ से सफाई करने वालों का उपयोग करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। अन्य सभी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन भी किया गया।

23. इलेक्ट्रिकल वाहन का उपयोग

इलेक्ट्रिकल कार के प्रयोग के लिए EESL और HEC के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ है। वर्तमान में 16 इलेक्ट्रिक कार एचईसी द्वारा प्रयोग में है।

24. सहायक उद्योगों और लघु उद्योग इकाइयों का विकास

अपने सामाजिक दायित्व के एक हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने रोजगार के साथ ही व्यक्तिगत उद्यमशीलता के अवसरों के सृजन हेतु रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण की मदद से तुपुदाना के समीप एक सहायक क्षेत्र का विकास किया है।

आपसी सहयोग तथा एचईसी के विकास के अनुरूप नए क्षेत्रों में प्रवेश की विभिन्न गुंजाइशों का पता लगाने के लिए लघु उद्योग इकाइयों (एसएसआई यूनिट्स) के साथ नियमित रूप से बातचीत का आयोजन किया गया।

25. कॉर्पोरेट सामाजिक जवाबदेही

खराब वित्तीय हालात के बावजूद कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों को जारी रखा जैसे (1) नर्सिंग स्कूल का संचालन (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन और (3) अपने वेलनेस केन्द्र के सहयोग से चिकित्सा शिविरों का आयोजन।

- सामुदायिक स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम ''आपके घर के पास अस्पताल'' की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत सीनियर नर्सिंग स्टाफ तथा चिकित्सों ने एचईसी टाउनशिप के सैटेलाइट गांव में घर-घर का दौरा किया और ग्रामीणों को स्वास्थ्य जागरुकता संबंधी सुझाव दिए, खासतौर पर महिलाओं को और जरूरत के अनुसार उन्हें उपलब्ध दवाइयां प्रदान की गई। जिन गांवों का दौरा किया गया उनके नाम हैं : जगन्नाथपुर, कुटे, तिरिल, नयासराय, पुदांग, सिथिया, हटिया, तुपुदाना, डुंगरी, टोंको, सतरंजी, बाल्सरिंग, बरमाड और जोजोसरिंग (14 गांव)।

26. सतर्कता गतिविधियाँ :

मुख्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी/एचईसी के समग्र प्रशासनिक और कार्यात्मक नियंत्रण के तहत एचईसी लिमिटेड का सतर्कता विभाग संचालित है। प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सतर्कता विभाग दवारा आवधिक और औचक निरीक्षणों के माध्यम से निवारक सतर्कता पहलों पर जोर देना जारी रहा। सतर्कता विभाग ने वर्ष के दौरान सीडीए नियम, चिकित्सा परिचारक नियम, निवारक सतर्कता उपायों, खरीद पर प्रशिक्षण और सीवीसी दिशानिर्देशों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2020 (VAW-2020) 27 अक्टूबर 2020 से 02 नवम्बर 2020 तक एचईसी, रांची में मनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के निर्देश Satark भारत, Samriddh भारत (सतर्क भारत, समृद्ध भारत)" के साथ मनाया गया। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के प्रयास के साथ एचईसी के भीतर एक सप्ताह के लंबे कार्यक्रम में बड़े उत्साह और उत्साह के साथ विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। सतर्कता जागरूकता के तीन स्तंभों - सहभागी, सतर्कता, निवारक

सतर्कता और दंडात्मक सतर्कता पर विशेष ध्यान दिया गया।

इन-हाउस विजिलेंस पत्रिका "चिंगारी-IX" वीएडब्ल्यू-2020 का विमोचन समापन समारोह में किया गया। सीवीसी द्वारा सुझाए गए आंतरिक (हाउसकीपिंग) गतिविधियों को प्रबंधन के साथ वीएडब्ल्यू-2020 के हिस्से के रूप में लिया गया था।

27. आरटीआई अधिनियम के तहत अनुरोध/अपील का निपटानः

कंपनी पारदर्शिता पर जोर देती है और समय पर मांगी गई जानकारी को प्रस्तुत करने को प्राथमिकता देती है।

28. कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा (आंतरिक शिकायत समिति)

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रावधानों के दिशा निर्देशों के अनुसार यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए मई, 2019 में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का पुनर्गठन किया गया।

29. गुणवत्ता का आश्वासन

आपकी कंपनी कभी भी निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता नहीं करती है। कंपनी अपने ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि के लिए अपने उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सभी उपाय करती है, इसे ध्यान में रखते हुए तीन संयंत्रों (प्लांट्स) के लिए क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को केंद्रीकृत कर दिया गया है। प्रासंगिक भारतीय मानकों एवं आई.एस.ओ. 9001:2015 के अनुसार उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों को बरकरार रखा जा रहा है।

30. ऊर्जा लेखा परीक्षा

ईईएसएल के माध्यम से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने वर्ष 2019 में एचईसी का एनर्जी ऑडिट किया है। एनर्जी ऑडिट में बिजली के साथ-साथ संयंत्र की थर्मल ऊर्जा खपत और एफएफपी, एचएमबीपी, एचएमटीपी, एचईसी, रांची की उपयोगिताओं को शामिल किया गया है। मुख्य रूप से ऊर्जा संरक्षण पर प्रस्तावों और सिफारिशों पर ध्यान देने के साथ।

31. अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी समावेश, अनुकूलन तथा नवोन्वेशन : ऊर्जा संरक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत, कंपनियों के आर एंड डी, तकनीकी समावेश, अनुकूलन और एनोवेशन के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण के संबंध में आवश्यक ब्यौरो को **अनुलग्नक - अ** में प्रस्तुत किया गया है।

32. निदेशकों का जिम्मेदारी वक्तव्य

अ. वार्षिक लेखा की तैयारी में, माल को भेजने के संबंध में लागू लेखा मानकों का उचित स्पष्टीकरण के साथ पालन किया गया।

ब. निदेशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय और अनुमान लगाये जो उचित और विवेकपूर्ण हो ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज के मामलों और उस अवधि के लिए कंपनी को हुए लाभ और हानि के प्रति निष्पक्ष राय दी जा सके।

स. निदेशक मंडल ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों (अकाउटिंग रिकॉर्डस) के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त उपाय किए थे।

घ. निदेशकों ने विकासमान करोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया था; और

ड. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली (सिस्टम) तैयार किया था और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

33. कॉर्पोरेट प्रशासन

कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेस आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉरपोरेट गवर्नेस पर रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ अनुबंध-बी में रखी गई है।

34. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषक रिर्पोट

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिर्पोट **अनुलग्नक-स** में दिया गया है।

35. सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मेसर्स लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

36. सी ऐंड एजी और सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी और उसपर प्रबंधन का जवाब

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत कंपनी के वार्षिक खातों पर सी ऐंड एजी की टिप्पणी, सी ऐंड एजी और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी कंपनी के खातों की समीक्षा के साथ प्रबंधन के उत्तर के साथ-साथ टिप्पणियों को **'अनुलग्नक-द'** में दर्शाया गया है।

37. वार्षिक विवरण का उद्यतन (MGT-9)

कम्पनी अधिनियम 2013 के द्वारा 92 के तहत वित्तिय वर्ष समाप्ती 31 मार्च 2021 के लिए वार्षिक विवरण का अद्यत्तन (फार्म MGT-9) **एनेक्सर-ई** पर है।

38. निदेशक मंडल

एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, एचईसी लिमिटेड के सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, एचईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात (i) पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) जिसमें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और चार कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं (ii) सरकारी निदेशक दो सरकारी नामित आधिकारिक निदेशकों से मिलकर; और (iii) गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक जिसमें चार स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

31 मार्च, 2021 तक, एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में छह निदेशक शामिल हैं, जिन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात (i) कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) और (ii) सरकारी नामित आधिकारिक निदेशक। बोर्ड में शामिल हैं (ए) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), (अतिरिक्त प्रभारी) और तीन कार्यात्मक निदेशक अर्थात निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (विपणन), (बी) भारत सरकार के दो नामित आधिकारिक निदेशक।

डॉ. नलिन सिंघल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (भेल) ने सीएमडी (एचइसी) का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। डॉ. राणा एस चक्रवर्ती, निदेशक (विपणन) कंपनी के निदेशक (उत्पादन) पद का अतिरिक्त प्रभार सम्भाल रहे है।

वर्ष के दौरान, श्री अमित वर्दन, जेएस/डीएचआई को सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया एवं वर्ष के दौरान वह निदेशक पद का त्याग किये। इसके अलावा, श्रीमती सुजाता शर्मा, सीनियर ईए/डीएचआई को एचईसी के बोर्ड में सरकारी नामित आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

39. लेखा परीक्षा समिति

चूंकि बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए वर्तमान में कंपनी में कोई लेखा परीक्षा समिति कार्य नहीं कर रही है।

40. अभिस्वीकृति (धन्यवाद ज्ञापन)

बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन का कृतज्ञता से आभार मानता है।

बोर्ड भारी मंत्रालय उद्योग भारत सरकार का इस कंपनी के पुनरुद्धार में उनके निरंतर समर्थन के लिए विशेष रूप से आभारी है।

बोर्ड झारखण्ड सरकार को कंपनी के कार्यान्वयन कामकाज में उनके हर प्रकार के निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती है।

बोर्ड अपने अभिलेख में अपने सभी हितधारकों से मिले उनके निरंतर सहयोग की सराहना करना चाहती है जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक वित्तीय संस्थान, नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक शामिल हैं।

बोर्ड एचईसी परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती है जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(डॉ. नलिन सिंघल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक – अ

अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन, नवाचार और ऊर्जा संरक्षण

वर्ष के दौरान कंपनी के अनुसंधान और विकास की गतिविधियां

2016-17 के दौरान की अवधि में हाइड्रोलिक उत्खनन की उत्पाद अवधारणा की कल्पना की गई थी, जिसे विभिन्न ग्राहक और बाजार सर्वेक्षण के बाद आकार दिया गया था। 2017-18 में उत्पाद के लिए मूल इंजीनियरिंग डिजाइन को किया गया। उत्पाद विशिष्ट विशेषताओं को प्रदान करने के लिए कीनेमेटीक्स, हाइड्रोलिक्स और ऑटोमेशन का एकीकरण, जो उत्पाद के वाणिज्यिक किनारे को तेज करता है को 2018-19 के दौरान किया गया। उत्पाद हाइड्रोलिक खुदाई (सामने फावड़ा मॉडल धरती 5.0) को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और 18 सितम्बर 2019 को उद्घाटन किया गया। इसके अलावा उद्योग 4.0 ढाँचा के अलावा फावड़ा के तकनीकी में सुधार का कार्य प्रगती पर है।

I. एचईसी ने इन हाउस 3डी मॉडलिंग की हाइड्रोलिक सिस्टम में संरचना का विवरण और नई प्रौद्योगिकी बातचीत।

अंतिम डिजाइन को पारंपरिक पायलट नियंत्रण मुख्य वाल्वों के अंतर्निर्मित स्थान वाले नियंत्रित-मीटर स्वचालित (सीएमए) वाल्वों का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण हाइड्रोलिक्स जैसी अनूठी विशेषताओं को शामिल करते हुए तैयार किया गया था। सीएमए वाल्व बैंक तब भी संचालन की अनुमति देता है जब कुछ वाल्व व्यक्तिगत संचालन के लिए विफल हो जाते हैं।

II. **आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं और विनिर्मित वर्ष के दौरान प्रदान**

एचईसी ने खान के अंदर कर्मियों की आवाजाही के लिए स्थापित किए जा रहे नए सर्कुलर शाफ्ट के पिंजरे और स्किप उत्थापन के लिए 5.8 मीटर व्यास के हेडगियर पुली का निर्माण किया है। आईएस : 9239 के अनुरूप इतने बड़े व्यास वाली चरखी के लिए इन-हाउस लोड परीक्षण के लिए विशेष परीक्षण बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है।

इस परियोजना के पूरा होने के बाद, एचईसी खुद को 'मेक दन इंडिया' मिशन के अनुरूप खनन उद्योगों के लिए हेडगियर पुली के आयात विकल्प के संभावित भारतीय निर्माता के रूप में स्थापित करेगा। पहले इस आकार की चरखी चेक गणराज्य या चीन से आयात की जाती थी।

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के अनुमोदन के तहत, इस तरह के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के लिए चरखी का यह बड़ा आकार पहली बार भारत में निर्मित किया जा रहा है। एचईसी ने खनन उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए इस प्रतिष्ठित परियोजना को एक चुनौती के रूप में लिया है।

III **ऊर्जा संरक्षण**

एचईसी में ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं :

- ऊर्जा की बचत के उपायों के कार्यान्वयन को ऊर्जा की बचत के आधार पर ESCO मॉडल EESL के माध्यम से किया गया, जिसके तहत पारंपरिक उपकरणों के स्थान पर ऊर्जा कुशल उपकरण लगाए गए हैं।
- संपीड़ित वायु प्रणाली का विकेंद्रीकरण किया गया है।
- कंडेनसर बैंकों की दैनिक निगरानी एपीएफ (औसत पावर फैक्टर) को यथासंभव उच्च बनाए रखने के लिए की गई।
- ऊर्जा संरक्षण चेतना के संबंध में व्यक्तियों की परामर्श।

अनुलग्नक–ब

निगमित शासन पर रिपोर्ट

(31.03.2021 के अनुसार)

निदेशकगण कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगमित प्रशासन) पर कंपनी की गतिविधियों को प्रस्तुत करते हैं।

1.0 कंपनी का कॉर्पोरेट प्रशासन दर्शन:

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी लिमिटेड) उन सभी के लिए उचित और पारदर्शी व्यावसायिक गतिविधियों में विश्वास करता है, जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे शेयरधारक, ग्राहक, विक्रेता, कर्मचारी, भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, कंपनी के मालिक के रूप में या किसी अन्य क्षमता के रूप में, विभिन्न राज्य सरकारें, अन्य सरकारी एजेंसियां/विभाग और बड़े पैमाने पर समाज। अनिवार्य रूप से एचईसी में अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन नीतियों का अभ्यास शामिल है और यह पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रतिबद्धता और उद्यमों के संवर्धन के अधिकतम स्तर को प्राप्त करने के माध्यम से ईमानदारी और अखंडता में विश्वास करता है।

एचईसी अपने मामलों को एक प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में प्रबंधित करता है जो सभी कानूनों का अनुपालन करता है और अपनी रणनीतियों को निष्पादित करने के लिए प्रबंधन नीतियों/निर्णयों को नियंत्रित करता है। एचईसी ने कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने वरिष्ठ प्रबंधन को जवाबदेह बनाया है।

एचईसी गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस का अभ्यास करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट प्रशासन की भावना को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार गठित समितियों के दायरे को बढ़ाया और मजबूत किया है।

2.0 निदेशक मंडल:

निदेशक मंडल हमारे कॉरपोरेट गवर्नेंस अभ्यास और देखरेख के मूल में है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन सभी हितधारकों के हितों की सेवा और सुरक्षा करता है। बोर्ड कंपनी की सभी प्रमुख गतिविधियों की निगरानी सहित रणनीतिक और व्यावसायिक योजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन भी करता है।

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या न तो दो से कम होगी और न ही पंद्रह से अधिक होगी। एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, एचईसी लिमिटेड के सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से किया जाता है।

कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एचईसी के निदेशक मंडल हैं। निदेशक मंडल को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। (i) पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक (संपूर्ण समय निदेशक) जिसमें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और चार कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं (ii) सरकारी निदेशक जिनमें दो सरकारी नामित अधिकारी निदेशक शामिल हैं; और (iii) चार स्वतंत्र निदेशकों (गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक) शामिल हैं।

सभी निदेशकों की नियुक्ति के नियम, शर्तें और कार्यकाल भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा तय किए जाते हैं।

31 मार्च, 2021 तक, एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में छह निदेशक होते हैं, जिन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। (i) कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) और (ii) सरकारी नामित अधिकारी निदेशक। बोर्ड में प्रभारी अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), और तीन कार्यात्मक निदेशक अर्थात निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (विपणन) शामिल हैं। (ख) भारत सरकार के दो अधिकारीक नामित निदेशक शामिल हैं।

डॉ. नलिन शिंघल, सीएमडी (बीएचईएल) ने एचईसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार संभाला और डॉ. राणा एस चक्रवर्ती, निदेशक (विपणन) ने कंपनी के निदेशक (उत्पादन) के पद का प्रभार संभाला।

वर्ष के दौरान, श्री अमित वर्दन, जेएस/डीएचआई को एचइसी के नामित सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया एवं एचईसी में निदेशक पद से पद त्याग भी हुआ। इसके अलावा, श्रीमती सुजाता शर्मा, सीनियर ईए/डीएचआई को एचईसी के बोर्ड में सरकारी नामित आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में 31 मार्च, 2021 वर्तमान में एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) की चार रिक्तियां, अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक की एक रिक्ति

और निदेशक (उत्पादन) की एक रिक्ती कंपनी के बोर्ड में मौजूद है। इन रिक्तियों को भरने का मामला भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

2.1 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

i) डॉ. नलिन सिंघल सीएमडी, भेल : सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) (01.04.2020 से 31.03.2021) अतिरिक्त प्रभार (01.10.2019 से)

2.2 कार्यकारी निदेशकों की सूची

i) श्रीमती अरून्धती पंडा : निदेशक (वित्त)

ii) श्री मृदुल कुमार सक्सेना : निदेशक (कार्मिक)

iii) डॉ. राणा शुभाशीष चक्रवती : निदेशक (विपणन) एवं निदेशक (उत्पादन) (अतिरिक्त प्रभार)

2.3 भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक आधिकारिक निदेशक

ii) श्रीमती नीलम एस कुमार, सीसीए/डिएचआई

ii) श्री अमित वर्दन, जेएस/डिएचआई
नियुक्ती 03.09.2020 एवं पद त्याग 12.10.2020

iii) श्रीमती सुजाता शर्मा, जेएस/डिएचआई
(12.10.2020 के प्रभाव से नियुक्त)

भारत सरकार द्वारा नामित गैर–आधिकारिक (अंशकालिक) निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में काई स्वतंत्र निदेशक अंशकालिक गैर सरकारी विदेश नहीं है।

3.0 बोर्ड की बैठक

बोर्ड की बैठकों का आयोजन रांची स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जाता है या ऐसी जगहों में जिसपर प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया हो। कंपनी के सचिव, बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

बोर्ड की बैठकों की संख्या :–

वर्ष 2020-21 के दौरान, तीन (3) बैठकें आयोजित की गईं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	तिथि	बोर्ड के सदस्य (स्ट्रेंथ)	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	12.05.2020	05	04
2	04.11.2020	06	05
3	21.12.2020	06	06

बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशकों की उपस्थिति

निदेशकों का नाम	अवधि	आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड मीटिंग में शामिल लोगों की संख्या	अन्य बोर्ड में निदेशक की संख्या
(क) कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक)				
1. डॉ, नलिन सिंघल, अतिरिक्त प्रभार (पदभार ग्रहण 01.10.2019)	01.04.2020 से 31.03.2021 तक	03	03	01
2. श्रीमती अरून्धती पंडा, निदेशक (वित्त)	01.04.2020 से 31.03.2021 तक	03	03	00
3. श्री मृदुल कुमार सक्सेना, निदेशक (कार्मिक)	01.04.2020 से 31.03.2021 तक	03	03	01
4. डॉ. राणा एस चक्रवर्ती, निदेशक (विपणन)	01.04.2020 से 31.03.2021 तक	03	03	00
(ख) भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक आधिकारिक निदेशक				
1. श्रीमती सुजाता शर्मा (पद ग्रहण 12.10.2020)	01.04.2020 से 28.02.2021 तक	02	02	00
2. श्रीमती नीलम एस कुमार	01.04.2020 से 31.03.2021 तक	03	01	00

4.0 अंकेक्षण समिति (ऑडिट कमिटी)

ऑडिट कमिटी की बैठकों का आयोजन रांची स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जाता है या ऐसी जगहों में जिसपर प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया हो।

चूंकि वर्ममान में कंपनी के बोर्ड में कोई गैर सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए कंपनी में बोर्ड स्तर की लेखा परीक्षा समिति कार्य नहीं कर रही है।

5.0 वार्षिक आम बैठक:

अंतिम तीन एजीएम का समय, दिनांक और स्थान

वर्ष	तिथि	समय	स्थान
2016-17 (58 वाँ एजीएम)	06.09.2017	11:00 पूर्वाह्न	पंजीकृत कार्यालय
2107-18 (59 वाँ एजीएम)	07.09.2018	11:00 पूर्वाह्न	पंजीकृत कार्यालय

वर्ष	तिथि	समय	स्थान
2018-19 (60 वां एजीएम)	27.09.2019	11:30 पूर्वाह्न	पंजीकृत कार्यालय
2019-20 (61 वां एजीएम)	22.12.2020	03:00 अपराह्न	पंजीकृत कार्यालय

6.0 आचार संहिता:

निदेशक मंडल ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता निर्धारित की है।

7.0 प्रकटीकरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अनुपालन में, कंपनी ने सभी निदेशकों से डिस्कलोजर ऑफ इन्टरेस्ट (फॉर्म MBP—1) प्राप्त किया है।

फार्म नं एमआर 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

धारा 204(1), कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में और कंपनियों के नियम संख्या 9 (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियमावली 2014

सदस्य,

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

एचईसी प्रशासनिक बिल्डिंग

प्लांट प्लाजा रोड

रांची, झारखंड-834004

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (बाद में "कंपनी" कहा जाता है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। सेक्रेटेरियल ऑडिट इस तरह से आयोजित किया गया था जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर और कंपनी और उसके अधिकारियों दवारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद द्वारा अपने राय से यह रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी अंकेक्षण अवधी जो 31.03.2021 को समाप्त है, के दौरान निम्नवत वैद्यानिक सूचीबद्ध प्रावधानों का पालन की है एवं कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रिया, अनुपालन तंत्र सिमित एवं उचित तरिके का है जो कि इसके बाद के रिपोर्टिंग को देखते हुए हैं।

हम किताबें, कागज, मिनट किताबें, रूपों एवं दायर रिटर्न की जांच की है और वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए रखा अन्य रिकॉड 31, मार्च 2021 को समाप्त निम्न के प्रावधानों के अनुसार :-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;

(v) सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश;

(vi) निम्नलिखित सहित कंपनी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के अनुसार कंपनी पर लागू सीमा तक अन्य कानून।

1. कारखाना अधिनियम 1948;
2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;
3. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन प्रबंधन और सीमा-पार संचलन) नियम, 2008;
4. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
5. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

हमने इसके अनुपालन की भी जांच की है :-

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंड; और

ii. भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक अनुसूची ए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है, जिसमें भारत सरकार की 100% शेयरधारिता है, जिसका प्रतिनिधित्व चार लोगों द्वारा किया जाता है। शेयरधारक/समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अनुपालन किया है निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ ऊपर उल्लिखित

अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का प्रावधान है।

निदेशक मंडल की संरचना पर डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार सार्वजनिक निदेशक मंडल क्षेत्र के उपक्रमों में (i) पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक शामिल होने चाहिए जिनकी संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए; (ii) सरकारी निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के एक-छठे से अधिक नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि किसी भी स्थिति में संख्या दो से अधिक न हो; और (iii) गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक जिनकी संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या का कम से कम एक तिहाई होनी चाहिए।

i) तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) जिसमें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और चार कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं; दो सरकारी नामित आधिकारिक निदेशकों से युक्त सरकारी निदेशक; और गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक जिसमें चार स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। 31.03.2021 को रिपोटिंग अवधि के अंत में कंपनी के चार कार्यात्मक निदेशक हैं; अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), और तीन अन्य कार्यात्मक निदेशक यानी निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक), और निदेशक (विपणन); भारत सरकार के दो नामित आधिकारिक निदेशक। रिपोटिंग अवधि के दौरान कोई गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक नहीं था।

ii) बोर्ड की बैठक में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए, प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड की बैठकें बुलाई गईं, बैठक के सात दिन पहले विस्तृत एजेंडा के साथ नोटिस भेजा गया, हालांकि, अल्प सूचना पर दो बैठकें बुलाई गईं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, स्पष्टीकरणों और प्रबंधन अभ्यावेदनों के अनुसार, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसका कंपनी के मामलों पर कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में एक प्रमुख प्रभाव पड़ा हो।

यह रिपोर्ट होनी है इसके साथ संलग्न (अनुबंध-1) के साथ पढ़ा गया है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

कांत सनत एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिवों के लिए

(सीएस सनत कुमार मिश्रा)
पार्टनर
एसीएस नंबरः 17836, सीओपी नंबरः 8705
यूडीआईएन
UDIN : AO17836C001733968

स्थान : रांची
तिथि : 11.12.2021

अनुलग्नक I

सेवा में,

सदस्य

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे।
4. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की किताबों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
5. जहां कभी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
6. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन को जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कांत सनत एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिवों के लिए

(सीएस सनत कुमार मिश्रा)
पार्टनर एसीएस नंबरः 17836, सीओपी नंबरः 8705
यूडीआईएन
UDIN : AO17836C001733968

स्थान : रांची
दिनांक : 11.12.2021

अनुलग्नक–स

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन

अवलोकन :

एचईसी भारत में इस्पात, खनन, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और सामरिक क्षेत्रों के लिए पूंजी उपकरण और मशीनरी के अग्रणी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। यह कॉन्सेप्ट-टू-कमीशनिंग से टर्न-की परियोजनाओं को भी निष्पादित करता है। छह दशकों के अनुभव में, एचईसी ने अपनी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति के माध्यम से देश में योगदान दिया है।

अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार के बावजूद एचईसी को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1421 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुकिंग मिली है।

1.0 स्वोट विश्लेषण : ताकत और कमजोरियां, अवसर और डर

1.1 ताकत

(i) इस्पात, खनन, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, प्रमुख क्षेत्रों और रणनीतिक क्षेत्रों, आदि के क्षेत्र में भारी इंजीनियरिंग डिजाइन और विनिर्माण उपकरणों के लिए सबसे बड़ा एकीकृत परिचालन सेटअप।

(ii) एचईसी में खनन के लिए वन स्टॉप सुविधा है और एक ही छत के नीचे कास्टिंग, फोर्जिंग, मशीनिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग से शुरू होने वाले स्टील के उपकरण और मशीन टूल्स।

(iii) खनन क्षेत्र में एचईसी में उच्च मूल्य की किस्मों और विभिन्न प्रकार के खनन उपकरणों जैसे ड्रैगलाइन, फावड़ियों (दोनों पारंपरिक और हाइड्रोलिक), भूमिगत खनन उपकरण और खनन स्पेयर आदि की आपूर्ति करने की प्रचुर क्षमता है। 200 से अधिक नग। विभिन्न खदानों में खनन और खनिज प्रसंस्करण उपकरण पहले से ही चल रहे हैं।

(iv) एचईसी ने धातुकर्म नवाचारों के लिए द्वार खोल दिए हैं और प्रमुख और रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपकरणों और घटकों के स्वदेशीकरण की दिशा में।

(v) एचईसी के प्रमुख अनुसंधान इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ तकनीकी गठजोड़ है जैसे IIT-ISM धनबाद, IIT खड़गपुर, NIFFT रांची स्वदेशीकरण और विकास की जरूरतों के लिए। एचईसी ने हाल ही में एनआईएफएफटी रांची के साथ खोखले शाफ्ट का विकास किया है।

(vi) महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्माण के लिए विभिन्न चुनौतियों के साथ एचईसी का परीक्षण किया गया है महत्वपूर्ण रक्षा/रणनीतिक आवश्यकता के लिए। ग्राहकों की विशिष्टताओं के अनुरूप उत्पादों को वितरित करने के लिए इसका अपना इन-हाउस आर एंड डी विंग है। एचईसी की इंजीनियरिंग संपत्ति और ज्ञान इसके ऑपरेटिंग सेगमेंट में अद्वितीय है।

(vii) एचईसी में टीओटी हस्तांतरण के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के साथ-साथ स्वदेशीकरण की क्षमता है।

(viii) कौशल स्तर के मामले में, कंपनी के पास है अच्छी तरह से वाकिफ इंजीनियरों जो तकनीशियनों द्वारा समर्थितः पैटर्न बनाना, मोल्ड तैयार करना, स्टील पिघलने, कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग, गियर निर्माण, विनाशकारी और गैर-विनाशकारी परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण आदि के क्षेत्रों में निपूण हैं।

1.2 कमजोरियां :

(i) मौजूदा मशीनरी के लिए तत्काल आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, जिसने साठ वर्षों से अधिक समय तक काम किया है, जिसके कारण बार-बार ब्रेक डाउन, उच्च अस्वीकृति और मरम्मत के लिए औसत समय से अधिक समय लगता है।

(ii) प्रौद्योगिकी गहन दर्जी उत्पाद।

(iii) बड़े विनिर्माण और नकद रूपांतरण चक्र वाले उत्पाद।

(iv) कार्यशील पूंजी की कमी।

(v) नगण्य केपेक्स इन्फ्यूजन के कारण प्रौद्योगिकी उन्नयन का अभाव।

(vi) कम जनशक्ति उत्पादकता।

1.3 अवसर :

(i) "मेक इन इंडिया" और 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल घरेलू विनिर्माण।

(ii) खनन, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु जैसे क्षेत्रों में भारी मांग क्षमता

(iii) एचईसी के अधिकांश संभावित बाजार में या तो आयात विकल्प, एकल निर्माण आधार या जहां मौजूदा निर्माता मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं, जो भविष्य में ऑर्डर की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

(iv) मानव संसाधन की औसत आयु लगभग 45 वर्ष है जिसमें विविध क्षेत्रों की युवा प्रतिभाओं की अच्छी संख्या है। उनकी क्षमताओं को तैयार और बढ़ाया जा रहा है।

(v) एचईसी के पास विशेष रूप से धातुकर्म विकास, खनन उपकरणों और मशीनरी में एक पूर्ण अनुसंधान उन्मुख प्रोटोटाइप निर्माता के रूप में काम करने की क्षमता है।

1.4 डर :

(i) आधुनिकीकरण के अभाव में, एचईसी आधुनिकीकृत प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ मौजूदा बाजार में प्रतिस्पर्धा खो रहा है और आगामी निविदाओं में भाग लेने में असमर्थ है।

(ii) एचईसी ऑर्डर की संभावनाओं को खो रहा है क्योंकि अधिकांश संभावनाएं उच्च मूल्य की हैं जिसके लिए बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता होती है जिसमें बड़ी राशि शामिल होती है जिसे एचईसी गंभीर वित्तीय संकट के कारण प्रदान करने में सक्षम नहीं होता है।

(iii) कम निश्चित लागत के कारण एल1 आधार पर ऑर्डर हथियाने वाली छोटी संस्थाओं की मशरूम वृद्धि हुई है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण,
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राँची

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखा परिक्षा पर रिपोर्ट

हमने इसके साथ संलग्न हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कम्पनी के वित्तीय विवरण का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2021 तक का बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, उस समय समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य विवरणात्मक जानकारियां भी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुरूप और हमें दी गयी व्याख्या के अनुसार, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के लिए अपेक्षित वांछित जानकारी प्रदान करता है, अधिनियम के धारा 133 के साथ कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 संशोधित (AS) एवं अन्य और लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा एवं निष्पक्ष राय प्रदान करता है जो भारत में सामान्यतया मान्य हैं। 31 मार्च 2021 को समाप्त हुई तिथि जो कंपनी की कार्यकाल का लाभ एवं नकदी प्रवाह है।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के बारे में हमारे ऑडिट का संचालन किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को ऑडिट के ऑडिट के लिए जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग। हम कंपनी के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। और वहां बनाए गए नियम, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का जोर

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन उत्तर
(क)	''महत्वपूर्ण लेखा नीतियों'' के नोट नंबर 1(3), 1(4), 1(5) का संदर्भ लें, इन्वेंटरी'' के नोट संख्या 17 ''वित्तिय विवरणों के अन्य नोट्स'' के नोट नंबर 33.12(ए) देखें।'' कंपनी के प्रोजेक्ट डिवीजन द्वारा निष्पादित चार टर्नकी परियोजनाओं से 2020-21 में राजस्व रु. 6,679.58 लाख रुपये (पिछले वर्ष - रु. 2,312.24 लाख रुपये) हैं। कंपनी के अन्य पूर्ण परियोजना में वृद्धि से 2870.98 लाख रुपये के राजस्व को मान्यता दी। इन सभी 4 परियोजनाओं पर 31.03.2021 तक की लागत रु. 91,583.26 लाख रुपये हैं, जिसके खिलाफ कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्व रु. केवल 86,055.18 लाख रुपये हैं। कंपनी ने अपने खातों की किताबों में परियोजनाओं की प्रगति में अनुबंध के काम को मान्यता नहीं दी हैं।	अनुबंध की कुल अनुमानित लागत के लिए रिपोर्टिंग तिथि तक वास्तविक लागत के प्रतिशत के आधार पर प्रतिशत पूर्णता पद्धति पर राजस्व की पहचान की जाती है। उपकरण/प्रणाली और सिविल कार्यों की आपूर्ति से होने वाली आय को ग्राहकों को भेजे जाने और परियोजना स्थल पर किए गए कार्यों के आधार पर पहचाना जात है। अनुबंध कार्य-प्रगति AS-7 के अनुसार - एक ठेकेदार को एक अनुबंध में भविष्य की गतिविधि से संबंधित लागतें लग सकती हैं। ऐसी लागतों को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि उन्हें वसूल किया जाएगा। नियमों और अनुबंधों के अनुसार सभी गतिविधियों और संबंधित व्यय के लिए बिलिंग/राजस्व की मान्यता कर दी गई है। इसलिए डब्ल्यूआईपी में कुछ भी नहीं माना जाता है। हालांकि, ऐसे मामले में, जो लागत अनुबंध में भविष्य की गतिविधि से संबंधित है और भविष्य में बिलिंग के अनुसार जारी करने योग्य है, डब्ल्यूआईपी पर विचार किया जाएगा।

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन उत्तर
	यह लेखा नीति और कंपनी द्वारा वर्षों से अपनाई जा रही प्रथा उस राजस्व को उत्पन्न करने के लिए पहले से खर्च की गई लागत के मुकाबले कंपनी के राजस्व को ठीक से नहीं दर्शाती है। कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीति और अभ्यास के परिणामस्वरूप एक विशेष वर्ष में प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं जहां कोई लागत व्यय नहीं है, लेकिन राजस्व की पहचान पिछले वर्षों में की गई लागत के विरुद्ध की जाती है, जहां उन लागतों को कार्य प्रगति के रूप में नहीं दिखाया गया था और उन लागतों के होने से उन पिछले वित्तीय वर्षों में नुकसान का प्रतिबिंब होता है। इस प्रकार कंपनी का लाभ/हानि कंपनी द्वारा खातों की पुस्तकों में मान्यता प्राप्त नहीं किए गए WIP के मूल्य के समायोजन से अधिक/कम करके आंका गया है।	
(ख)	नोट नंबर 15 का संदर्भ लें - स्टैंडअलोन वित्तिय विवरणों का हिस्सा है जो दर्शाता है कि लंबी अवधि के ऋण और अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है जिसमें जमा/सुरक्षा जमा, आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम आदि शामिल हैं। के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रावधान कंपनी का मूल्यांकन मामले के तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है, लेकिन पिछले वर्षों में लगातार अपनाई गई पिछले प्रथा। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकुल परिणाम कंपनी की रिपोर्ट की गई हानि और शुद्ध संपत्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने देखा कि एक अभ्यास के रूप में लगातार पालन किया जा रहा है, कंपनी सभी दीर्घकालिक अग्रिमों/सुरक्षा जमा के खिलाफ लगभग 100% का प्रावधान कर रही हैं जो 3 साल से अधिक समय से खातों की किताबों में जारी है। कंपनी ने इसके खिलाफ प्रावधान किया है। i) विभिन्न कर प्राधिकारियों के विरोध में की गई जमा राशि और विभिन्न राज्य/केंद्र सरकार के विभागों को देय राशि के विरोध में भुगतान की गई आंशिक माँग, जहाँ राशि विवादित है और अंतिम माँग की मात्रा निर्धारित की जानी बाकी है - कुल प्रावधान रु. 51.46 लाख रुपये। (ii) राज्य/केंद्र सरकार की इकाइयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विभागों सहित विभिन्न पार्टियों को दीर्घावधि अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि - कुल प्रावधान 747.92 लाख रुपये किया गया। (iii) प्राप्य दावा जिसमें बैंक गारंटी शामिल है- कुल प्रावधान रु. 14488.38 लाख	नोट कर लिया, कंपनी के पास दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के खिलाफ 100% प्रावधान करने का अभ्यास है जिसमें जमा/सुरक्षा जमा, आपूर्तिकर्ता को अग्रिम आदि शामिल हैं और जो 3 वर्षों से अधिक समय से खातों की किताबों में जारी हैं। इसकी समीक्षा की जा रही है और तदनुसार आवश्यक समायोजन किया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन उत्तर
	(iv) अन्य - कुल प्रावधान रु. 179.40 लाख कंपनी प्रावधान के आधार के संबंध में कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी, सिवाय बयान के प्रस्तुत करने के कि उसी प्रथा का पालन किया जा रहा है। कंपनी द्वारा वर्षों बाद किए जा रहे इस प्रावधान के बिना कंपनी द्वारा अपनाई जा रही प्रथा के परिणामस्वरूप 5467.16 लाख रुपये के नुकसान का अधिक विवरण और कंपनी की संपत्ति को 5467.16 लाख रुपये तक कम बताया गया है।	
(ग)	नोट संख्या 8 देखें - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाना - ''व्यापार देय'' - जैसा कि क्रमांक में दिखाया गया है। 4(बी) तुलन पर की - रु 14082.51 लाख जिसमें से मद सं. 4बी (i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की बकाया राशि - रु. 751.04 लाख, मध्यम उद्यमों के लिए बकाया राशि रु. 433.00 लाख और अन्य को देय राशि - रु. 12,898.47 जिसे देयता के रूप में शामिल किया गया है। कंपनी ने नोट 33.14 - ''वित्तीय विवरणों के लिए अन्य नोट्स'' में बताया है कि बकाया मूलधन की राशि के अलावा, ब्याज की आगे की देनदारी रुपये है। 2,280.11 लाख और यह बहियों में देयता के रूप में और या आकस्मिक देयता के रूप में नहीं दिखाया गया है लेकिन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के अन्य नोट्स के तहत दिखाया गया है। इन देया राशियों का विश्लेषण आगे दर्शाता है कि एमएसएमई उद्यमों का 45 दिनों तक का बकाया रु. 517.27 लाख (43.69%) 180 दिनों तक रु. 214.17 लाख (18.09%), 181 दिनों से 360 दिनों के बीच 31.62 लाख रुपये (2.67%) और 360 दिनों से अधिक का रु. 420.97 लाख (35.55%) है। कंपनी एमएसएमई देय देय ब्याज राशि के लिए वर्षवार विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसके अलावा, कंपनी एमएसएमई क्षेत्र को इस दायित्व का निर्वहन करने की दिशा में किए गए अपने प्रयासों को प्रमाणित करने के लिए कोई पत्राचार या कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। कंपनी की देनदारियां उस सीमा से अधिक या कम बताई गई है, जिस हद तक सुलह के बाद किए जाने वाले समायोजन और देय ब्याज के समायोजन सहित शेष राशि की पुष्टि, यदि कोई हो, तो उस पर।	नोट नं 8 - एमएसएमईडी अधिनियम के धारा 22 के अनुसार खरीदार जो एमएसएमई से सामान खरीदता है या सेवाओं का लाभ उठाता है, उसे अपने वार्षिक विवरण में एमएसएमई को बकाया मूलधन और उस पर देय ब्याज के संबंध में अतिरिक्त जानकारी का अनिवार्य रूप से खुलासा करना होता है। निर्धारित प्रारूप में खातों की। एचईसी ने नोट संख्या 33.16 में इसका अनुपालन किया - "वित्तीय विवरण के लिए अन्य नोट्स। अब तक रु 1184.04 लाख रु 672.82 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि की समीक्षा की जा रही है और उसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन उत्तर
(घ)	नोट संख्या 18 देखें - ''व्यापार प्राप्य'' - रु. 12,900.09 लाख (प्रावधान में रु. 1353.76 लाख) - नोट संख्या 21 - ''किराया और अन्य प्राप्य'' अन्य वर्तमान संपत्तियों के तहत रु. 1306.67 लाख) और नोट संख्या 16 - अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत ''दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य'' - रु. 40,183.03 लाख (प्रावधान में रु. 28254.32 लाख) ये सभी तीन नोट स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं - दिखाए गए शेष राशि पार्टियों से पुष्टि और सुलह पर परिणामी समायोजन यदि कोई हो, के अधीन है। इसके अलावा, 3 वर्षों से अधिक की वसूली नहीं की गई राशि कंपनी की लेखा नीति के अनुसार पूरी तरह से प्रदान की जाती है, हालांकि सरकार से प्राप्य राशियां हैं। सरकार ऐसी एजेंसियां भी जो सामान्य रूप से संदिग्ध नहीं है और सामान्य रूप से बरामद की जा रही है लेकिन 100% पर प्रदान की जाती है। उक्त प्राप्तियाँ की वसूली पर प्रावधानों को अक्सर वापस लिखा जाता है। कंपनी के ये एसेट हेड्स इस हद तक कम या ज्यादा बताए गए हैं, जिस हद तक सुलह और बैलेंस कन्फर्मेशन के बाद किए जाने वाले एडजस्टमैंट की जरूरत है।	प्राप्य व्यापार के संबंध में शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र भेजा गया है, लेकिन पुष्टि अभी भी प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, व्यापार प्राप्य में शेष राशि सूचना और दस्तावेजों के अनुसार है।
(ङ)	नोट संख्या 8 देखें - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाना - ''व्यापार देय'' जैसा कि क्रमांक में दिखाया गया है। 4(बी) तुलन पत्र - रु. 14082.51 लाख - दिखाई गई शेष राशि पार्टियों से पुष्टि और सुलह पर परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधिन है। कंपनी की देनदारियां सुलह पर परिणामी शेष राशि की पुष्टि के बाद किए जाने वाले समायोजन की सीमा तक कम या ज्यादा बताई गई है।	नोट किया गया
(च)	नोट संख्या 31 देखें - क्रमांक । 1- पूँजीगत खाते पर निष्पादित होने वाली शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं की गई- रु. 5387.47 लाख (पिछले वर्ष - 15089.37 लाख रुपये) - इस वर्ष कंपनी की अन्य इकाई/इकाइयों के लिए एक इकाई द्वारा निष्पादित किए जा रहे अनुबंधों की पूंजीगत प्रतिबद्धताओं को शामिल नहीं किया है।	अकाउंटिंग पॉलिसी लेखा मानक के फ्रेम कार्य के भीतर बनाया जायेगा।
(छ)	कंपनी काम कर रहे आउटसोर्स अनुबंधों पर भी आधारित है और उनके संचालन में किसी भी अनिश्चितता का कंपनी की कामकाजी और राजस्व बुकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, आकस्मिक देयता की मात्रा और प्रकृति को देखते हुए, भविष्य में असाधारण मुकदमेबाजी और नियामक कार्रवाइयों से इंकार नहीं किया जा सकता है।	नोट किया गया है।

ऊपर के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

अन्य सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रतीत होता है भौतिक रूप से गलत किया गया।

अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत हैय हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। जैसा कि अन्य जानकारी हमें प्रदान नहीं की गई है, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 21074749AAAACE5125

आर. के. श्रीवास्तव
वरीय उप महाप्रबंधक (ए&बी)
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि., राँची

तिथि : 02.11.2021
स्थान : रांची

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, कंपनी के लेखा 133 (धारा) के तहत निर्धारित कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के साथ धारा 133 के तहत निर्धारित के अनुसार, कंपनी के नकदी प्रवाह सहित वित्तीय प्रदर्शन, संशोधित, और अन्य लेखांकन सिद्धांतों को आम तौर पर भारत में स्वीकार किया जाता है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है। उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदनय निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री से मुक्त होते हैं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत विवरण।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जारी रखे जाने की क्षमता का खुलासा करने के रूप में, लागू करना, चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करना जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा रखता है या युद्ध संचालन, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एक पूरे के रूप में भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतफहमी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और सामग्री मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं।

हम भी :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के लिए चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला और, प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चिंता का विषय बन सकता है।
- खुलासे सहित स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
- हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।
- हम अन्य मामलों में, ऑडिट की योजना बनाई गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।
- हम उन लोगों को एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।
- शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी। इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभ पल्ला झुकना।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत आवश्यक है, हम ऑडिट की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर 'अनुबंध 1' में एक बयान देते हैं, उस पर कार्रवाई और उस पर प्रभाव पड़ता है खाते और कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) ऑर्डर 2016 (''ऑर्डर'') के अनुसार, हम ''अनुबंध 2'' में दिए गए मामलों पर एक बयान देते हैं। आदेश के पैरा 3 और 4।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।

   ख) हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित पुस्तकों को कंपनी द्वारा अब तक रखा गया है, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

   ग) बैलेंस शीट, लाभ और हानि सहित विवरण और इस रिपोर्ट के साथ नकदी प्रवाह के विवरण खाते की पुस्तकों के साथ समझौते में हैं।

   घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

च) 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया, 31 मार्च, 2021 तक किसी भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अधिनियम की धारा 164(2)।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में,में हमारी अलग रिपोर्ट देखें 'अनुलग्नक 3'। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।

ज) अन्य मामलों के संबंध में ऑडिटर्स रिपोर्ट में कंपनी (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) रूल्स, 2014 के नियम 11 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और स्पष्टीकरण के अनुसार शामिल किया जाना चाहिए।

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii. कंपनी ने प्रावधान किया है, जैसा कि लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक है, लंबी अवधि के अनुबंधों पर, भौतिक रूप से हानि के नुकसान के लिए।

iii. प्रबंधन से प्राप्त प्रतिनिधित्व के अनुसार, ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था।

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 21074749AAAACE5125

तिथिः 02.11.2021
स्थानः रांची

अनुलग्नक – 1 स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट के लिए

(रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में उल्लिखित हमारी रिपोर्ट के सेक्शन हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए भी)

अनुलग्नक – I

वित्तीय वर्ष 2020-21 खाते के ऑडिट के लिए लागू कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत दिशा-निर्देश

क्र.सं.	प्रशन	प्रबंधन का जवाब
(अ)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का निहितार्थ, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है, लेकिन इसमें एक अच्छी तरह से परिभाषित वित्तीय नियंत्रण और आंतरिक जांच के साथ उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ एक मजबूत एकीकृत प्रणाली का अभाव है जो सभी विभागों के एकीकरण और विभिन्न प्रक्रिया के लिए आवश्यक है डिवीजनों के साथ ही हेड क्वार्टर में। प्लांट स्टोर पर आगे के स्टोर लीडर्स को नॉन-इंटीग्रेटेड सिस्टम पर रखा गया है। हालांकि, स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर कोई सामग्री निहितार्थ नहीं है।
(ब)	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या छूट/ऋण/ऋण/ब्याज आदि को लिखना है या नहीं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाना चाहिए। क्या ऐसे मामलों का हिसाब ठिक से किया जाता है?	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के ऋण को चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी द्वारा ऋण के लिए किए गए ऋणों/ऋणों/ ब्याज आदि की माफी या छूट के मामलों का कोई पुनर्गठन नहीं है। हालांकि, कंपनी ने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ-साथ सरकार द्वारा दिए गए लोन के ब्याज का भी भुगतान नहीं किया है। भारत की ऋण और ब्याज की किस्तों का भुगतान करने में असमर्थता के कारण जो पहले से ही देय हैं।
(स)	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि (ग्राण्ट/सब्सिडी) प्राप्त/प्राप्त की गई थी या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त की गई धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग/उपयोग किया गया।

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 21074749AAAACE5125

स्थान : रांची
तिथि : 02.11.2021

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुलग्नक–2

(समान तिथि के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

1. **कंपनी की अचल संपत्तियों के संबंध में :**

(क) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है।

(ख) वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा कंपनी की अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हालांकि, यह परीक्षण जांच के आधार पर किया गया है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई भी भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्ड और हमें प्रदान किए गए कर्मों की परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, शीर्षक कर्म, जिसमें भूमि और इमारतों के सभी अचल संपत्तियां शामिल हैं, जो फ्री होल्ड हैं, कंपनी के नाम पर बैलेंस शीट तिथि के अनुसार आयोजित किया गया।

2. **इन्वेंटरी के संबंध में :**

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने आविष्कारों के उचित रिकॉर्ड को बनाए रखा है और प्रबंधन ने आंतरिक ऑडिटर की प्रतिनियुक्ति की है जो भौतिक रूप से वर्ष के अंत में सूची का सत्यापन करेगा। जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियों को खातों की पुस्तकों में ठीक से निपटाया गया है। कंपनी वर्ष समाप्ति पर ठेका वर्क इन प्रोगेस को चिंहित नहीं किया है।

3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निकायों, कॉर्पोरेट, फर्मों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और इसलिए की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल हैं। आदेश के इस खंड 3 (iii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

4. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण प्रदान करने, निवेश करने और गारंटी और प्रतिभूति प्रदान करने के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान जमा स्वीकार नहीं किया है और 31 मार्च, 2021 तक कोई लावारिस जमा नहीं है और इसलिए, आदेश के इस खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं हैं। कंपनी के लिए।

6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लागत रिकॉर्ड का रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत कंपनी द्वारा किए गए व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट किया गया है और इस तरह के रिकॉर्ड को बनाए रखा गया है कंपनी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

7. वैधानिक बकाया राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार :

(क) कंपनी आम तौर पर निर्विवाद वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें प्रोविडेंट फंड, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, माल और सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय राशि शामिल हैं। उपयुक्त अधिकारियों।

(ख) 31 मार्च, 2021 तक प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं थी। उपयुक्त अधिकारियों के साथ नीचे दिए गए को छोड़कर, वे उस तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए देय हो गए।

एक्ट का नाम	सभी (बकाया) रु. लाख में	अवधी
जल शुल्क बकाया	4282.48	मार्च, 2021 तक
म्युनिसिपल कर	112.48	मार्च, 2021 तक

(ग) आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री देय राशि का विवरण जो 31 मार्च, 2021 तक जमा नहीं किया गया है विवाद अनुबंध - 2 एमें दिए गए हैं

8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों और सरकार से ऋण या उधार लिया है, लेकिन कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। सरकार से प्राप्त ऋण। भारत और ब्याज के साथ-साथ दंडनीय देय देय राशि (10678.34 लाख रुपये) का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा बैंक से उधार लेने में कोई चूक नहीं है।

9. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) या टर्म लोन के माध्यम से धन नहीं उठाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) के तहत रिपोर्टिंग के लिए लागू नहीं है। कंपनी।

10. हमारे ज्ञान का सबसे अच्छा करने के लिए और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी पर ध्यान नहीं दिया गया है या वर्ष के दौरान देखा गया है।

11. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी गई धारा 197 के प्रावधानों के साथ पढ़ी गई अनुसूची V के अधिनियम द्वारा अनिवार्य अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रदान किया है।

12. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

13. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू है, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन के लिए और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण का खुलासा किया गया है। लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यकतानुसार स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरण।

14. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का भुगतान किया है और इसलिए ऑर्डर के क्लॉज 3(xiv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

15. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या इसके निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान हैं। कंपनी के लिए लागू नहीं है।

16. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 21074749AAAACE5125

तिथिः 02.11.2021
स्थानः रांची

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुलग्नक-3

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत अनुच्छेद 3 (एफ) के संदर्भ में है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की धारा 3 उप के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च, 2021 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर दिए गए मार्गदर्शन नोट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के वित्तीय घटकों के बारे में बताया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, सटीकता और पूर्णता कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लेखांकन रिकॉर्ड और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपने वित्तीय लेखा परीक्षा के ऑडिट पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार (भारत सरकार के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए 'गाइडेंस नोट') और कंपनियों की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करते हैं और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की सामग्री के जोखिम के मूल्यांकन का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैंय (2) उचित

आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं। और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पता लगाने या उचित वित्तीय विवरणों पर सामग्री प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलतियाँ हो सकती हैं और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के लिए और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी के पास सभी सामग्री मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से चल रहे थे। 31 मार्च, 2021, कंपनी के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, विषय इस संबंध में हमारी टिप्पणियों के लिए।

(क) अग्रिमों के साथ-साथ पुस्तकों में पड़े दायित्व को समय पर समायोजित नहीं किया जा रहा है। बहुत पुरानी प्रगति और पुरानी देनदारियों को कंपनी की पुस्तकों में पूरी तरह से बिना किसी समीक्षा के पूरा किया जा रहा है। कुछ मामले में अग्रिम/देय का मूल तिथी मिल भी नहीं पा रहा है।

(ख) कंपनी के पास लीज रेंटल के प्राप्य की उम्र-वार जानकारी नहीं है।

(ग) प्रविष्टियों को पास करते समय निर्माता और चेकर की अवधारणा का पालन नहीं किया जा रहा है।

(घ) प्रावधान की प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रावधान की राशि में इस वर्ष के दौरान काफी ऊपर और नीचे की ओर संशोधन किए गए थे जो दस्तावेज लेखा नीति और समर्थित दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं हैं। इसके अलावा, कुछ साल पहले अपनाई गई एक प्रथा का लगातार बिना किसी समीक्षा के पालन किया जा रहा है और वित्तीय पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया जा रहा है।

ऊपर के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 21074749AAAACE5125

तिथिः 02.11.2020
स्थानः रांची

स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का अनुबंध – 2A

(अनुबंध में उल्लिखित - 2 पैरा vii (स) 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत हमारी स्वतंत्र रिपोर्ट के अनुभाग को हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को उस तारीख के संदर्भ में)

कानून की प्रवृति	फोरम, जहाँ लंबित है	लंबित अवधी जिससे राशि से संबंध है	राशि (लाख में)	राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
Value Added Tax Act, 2005 (VAT) Central Sales Tax (CST)			VAT	CST	Total
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2008-2009	10.78	10.35	21.13
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2009-2010	19.63	57.76	77.39
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2010-2011	92.41	137.18	229.59
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2011-2012	79.18	794.55	873.73
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2012-2013	25.80	17.44	43.24
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2013-2014	397.75	19.02	416.77
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2014-2015	904.90	19.75	924.65
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2015-2016	124.91	57.88	182.79
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2016-2017	25.80	1804.57	1830.37
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2017-2018	18.87	97.30	116.17
	Total		**1700.03**	**3015.80**	**4715.83**

Service Tax Act			**Service Tax Act**
	CESTAT, Kolkata	Oct-2006 to Mar-2007	Rs. 926.94 Lakhs
	CESTAT, Kolkata	Oct-2007 to Mar-2010	Rs. 1224.09 Lakhs
	Commissioner Appeal, Ranchi	2012-13 & 2013-14	Rs. 221.05 Lakhs

Central Excise Act			**Excise Duty**
	CESTAT, Kolkata	2010-11 to 2014-15	Rs. 3540.54 Lakhs
	CESTAT, Kolkata	2015-16 to 2016-17	Rs. 1217.72 Lakhs

The Employees provident fund & Miscellaneous Provision Act, 1952			PF Dues
	High Court of Jharkhand	Mar-1976 to Sep-1999	Rs. 9501.54 Lakhs

Jharkhand Municipal Act, 2011			**Municipal Tax Dues**
	झारखण्ड उच्च न्यायालय ने मामले को खारिज कर अयुक्त पदाधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने का निर्देश दिया। एक पिटिशन 04.08.2021 को निदेशक, शहरी राज्य विकास प्राधिकार, राँची के यहाँ फाइल है।	2016-2017	Rs. 1233.43 Lakhs

PHED Govt. of Jharkhand	उद्योग सचिव, झारखण्ड सरकार के समक्ष सेटलमेंट	upto 2011-12	Rs. 989.82 Lakhs

अनुलग्नक– 'द'

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी की जिम्मेदारी कंपनी प्रबन्धन की है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी मंतव्य व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत् निर्धारित अंकेक्षण पर मानक के अनुरूप स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित होगा। ऐसा कहा गया है कि यह अंकेक्षण रिपोर्ट उनके द्वारा किया गया है, जो दिनांक 02 नवम्बर 2021 के उनकी ऑडिट रिपोर्ट को प्रतिस्थापित करता है।

हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष पर हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय ब्यौरे, कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6) (अ) के तहत पूरक अंकेक्षण कराया है। पूरक अंकेक्षण कार्य स्वतंत्र होकर निष्पादित किया गया है। जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक के दस्तावेजों का उपयोग नहीं किया गया और यह प्रारंभिक स्तर पर सांविधिक लेखा परीक्षक और कम्पनी कार्मिक के पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेख की चयन परीक्षण तक सीमित है।

हमारे पूरक अंकेक्षण के आधार पर मैं कुछ भी महत्वपूर्ण मामला हमारे पास नहीं आया है जिस पर किसी प्रकार की टिप्पणीयाँ कंपनी अधिनियम की धारा 143(6) (b) के तहत सांविधित लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर पूरक टिप्पणी की जा सके।

कृते एवं नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की ओर से

(फैसल इमाम)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (इस्पात)
राँची

स्थान - राँची
दिनांक - 10.12.2021

FORM NO. MGT 9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN AS ON THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2021

[Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014]

1. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

i	CIN	U27100JH1958GOI000630
ii	Registration Date	31/12/1958
iii	Name of the Company	HEAVY ENGINERRING CORPORATION PRIVATE LIMITED
iv	Category/Sub-category of the Company	COMPANY LIMITED BY SHARE/GOVERNMENT COMPANY
v	Address of the Registered office and contact details	PLANT PLAZA ROAD, DHURWA, RANCHI - 834004
vi	Whether listed company	No
vii	Name, Address and Contact details of the Registrar and Transfer Agent, if any.	N.A

2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY :

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

SL. No	Name & Description of main products/services	NIC Code of the Product /service	% to total turnover of the company
1	Steel Plant Mining Equipments, Steel Casting, Forgings & Rolls	273	100

3. PARTICULARS OF HOLDING , SUBSIDIARY & ASSOCIATE COMPANIES

Sl. No	Name & Address of the Company	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY/ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
1	N.A				
2	N.A				
3	N.A				

SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Break up as percentage to Total Equity)

i. Category – wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/HUF									
b) Central Govt.	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0
c) State Govt(s)									
d) Bodies Corporates									
e) Bank/FI									
f) Any other									
SUB TOTAL : (A) (1)	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0
(2) Foreign									
a) NRI- Individuals									
b) Other Individuals									
c) Bodies Corp.									
d) Banks/FI									
e) Any other									
SUB TOTAL : (A) (2)									
Total Shareholding of Promoter (A)= (A)(1)+(A)(2)	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0

B. PUBLIC SHAREHOLDING									
(1) Institutions									
a) Mutual Funds									
b) Banks/FI									
C) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Fund									
f) Insurance Companies									
g) FIIS									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (specify)									
SUB TOTAL (B)(1):									
(2) Non Institutions									
a) Bodies Corporates									
i) Indian									
ii) Overseas									
b) Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs.1 lakhs									
ii) Individuals shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakhs									
c) Others (specify)									
SUB TOTAL (B)(2):									
Total Public Shareholding (B)= (B)(1)+(B)(2)									

C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
Grand Total (A+B+C)	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0

(ii) SHARE HOLDING OF PROMOTER

SI No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged encumbered to total shares	
1	**G.O.I**	6060788	100	0	6060788	100	0	0
	Total	6060788	100	0	6060788	100	0	0

(iii) CHANGE IN PROMOTERS' SHAREHOLDING (SPECIFY IF THERE IS NO CHANGE) – N.A.

Sl. No.		Share holding at the beginning of the Year		Cumulative Share holding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	6060788	100	6060788	100
2	Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc)	0	0	0	0
3	At the end of the year	6060788	100	6060788	100

5. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(Amt in Lakh)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness

Indebtness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	15209.33	4789.00		19998.33
ii) Interest due but not paid		4299.37		4299.37
iii) Interest accrued but not due		513.21		513.21
Total (i+ii+iii)	**15209.33**	**9601.58**		**24810.91**
Change in Indebtedness during the financial year				
Additions				
Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	20398.08	4789.00		25187.08
ii) Interest due but not paid		5376.13		5376.13
iii) Interest accrued but not due		513.21		513.21
Total (i+ii+iii)	**20398.08**	**10678.34**		**31076.42**

6	**REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL**			
A.	**Remuneration to Managing Director, Whole time director and/or Manager:**			
Sl.No	**Particulars of Remuneration**	**Total Amount (Rs. Lakh)**		
1	Gross salary	Arundati Panda	M.K.Saxena	Rana S. Chakravarty
	(a) Salary as per Provisions contained in Section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	34.40	30.83	30.55
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961		1.89	1.87
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961			
2	Stock Option			
3	Sweat Equity			
4	Commission -as % of profit -Other, Specify			
5	Others, please specify-			
6	Total (A)	34.40	32.72	32.42
7	Ceiling As per the Act			

B	**Remuneration to other Directors:**		
Sl. No	**Particulars of Remuneration**	**Name of Director**	**Total Amount (Amt in Rs.)**
	Independent Directors		
	(a) Fee for attending board committee meetings		
	(b) Commission (c) Others, please specify- Sitting Fees		
	Total(i)		
	Other Non Executive Directors		
	(a) Fee for attending board committee meetings (b) Commission (c) Others, please specify- Sitting Fees		
	Total(ii)		
	TotalB = (i+ii)		
	Total Managerial Remuneration		
	Overall Ceiling as per the Act		

C.	REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD				
Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total (Rs. Lakh)
1	**Gross Salary**	CEO	Company Secretary	CFO	Total
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961.		13.85		
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961				
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961				
2	Stock Option				
3	Sweat Equity				
4	Commission				
	as % of profit				
	others, specify				
5	Others, please specify				
	Total				

7. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/Compounding fees imposed	Authority (RD/NCLT/ Court)	Appeal made if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty					
Punishment					
Compounding					

माननीय राष्ट्रपति द्वारा संविधान दिवस पर शपथ दिलाया गया।

एचईसी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2021 के अवसर पर पत्रिका, चिंगारी - 10 का विमोचन किया गया।

एचईसी में गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मनाया गया।

प्लांट के अंदर हो रहे निर्माण कार्य।

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च 2021 को तूलन पत्र

₹ लाख में

	टिप्पणी सं.	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I. **इक्विटी एवं देयताएँ**			
1. शेयरधारक फंड			
(अ) शेयर पूँजी	2	60607.88	60607.88
(ब) आरक्षित एवं अधिशेष	3	(118833.05)	(100680.82)
2. शेयर उपयोग रकम			
लंबित आवंटन		0.01	0.01
3. गैर चालू देयताएँ			
(अ) दीर्घकालीन उधारकर्ता	4	0.00	0.00
(ब) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	5	15.48	37.67
(स) दीर्घकालीन प्रावधान	6	8866.90	8898.38
4. चालू देयताएँ			
(अ) लघुकालीन उधारकर्ता	7	20398.08	15209.33
(ब) व्यवसाय देय		751.04	792.97
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया			
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त ऋणदाता का कुल बकाया	8	13331.47	10921.94
(स) अन्य चालू देयताएं	9	72997.66	59483.01
(द) लघुकालीन प्रावधान	10	2116.68	1759.79
कुल		**60252.15**	**57030.16**
II. **परिसम्पत्तियाँ**			
1. गैर चालू परिसम्पत्तियां			
(अ) नियत परिसम्पत्तियां			
(i) सम्पत्ति, प्लांट एवं उपस्कार	11	4895.30	5659.23
(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियां	12	0.00	0.00
(iii) पूँजीगत चालू कार्य	13	568.51	1619.19
(ब) गैर चालू निवेश	14	0.36	0.36
(स) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	15	9.60	9.60
(द) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	16	11928.71	12598.46
2. चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) वस्तुसूचियां	17	14482.53	11751.36
(ख) व्यवसाय प्राप्ययोग्य	18	11546.33	6929.47
(ग) नकद एवं नकद समकक्ष	19	5425.50	4279.48
(घ) लघुकालीन ऋण एवं अग्रिम	20	7090.68	6469.70
(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	21	4304.63	7713.31
कुल		**60252.15**	**57030.16**

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1

वित्तीय विवरण का अन्य टिप्पणियाँ 33

टिप्पणी सं. 1 से 33 एवं कैश फ्लो विवरण, वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है।

ए. के. कंठ	**आर. के. श्रीवास्तव**	**अरून्धती पंडा**	**डॉ. नलिन सिंघल**
कम्पनी सचिव	व. उपमहाप्रबंधक (ए & बी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट
कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

स्थान : राँची
दिनांक : 02.11.2021

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 21074749AAAACE5125

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लाभ एवं हानि ब्यौरे

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

₹ लाख में

		टिप्पणी सं.		2020-21		2019-20
i.	प्रचालन से राजस्व	22		21341.88		13975.18
ii.	अन्य आय	23		3459.17		3110.31
iii.	**कुल राजस्व**			24801.05		17085.49
iv.	**व्यय**					
(क)	सामग्री खपत लागत	24		10348.74		11662.91
(ख)	समापन भंडार एवं प्रगतिशील कार्य के वस्तुसूची में परिवर्तन	25		(3901.12)		(1854.04)
(ग)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	26		12242.13		13539.19
(घ)	वित्तीय लागत	27		2749.47		2423.89
(ङ)	मूल्य ह्रास, परिशोधन एवं हानिकारक	28		606.10		733.22
(च)	अनुसंधान एवं विकास व्यय	29		65.27		79.06
(छ)	अन्य व्यय					
	(i) निर्माण सेवा व्यय	30 (I)		4661.63		4581.93
	(ii) निर्माण एवं अन्य परिचालन व्यय	30 (II)		9341.23		8331.93
	(iii) प्रशासन, विक्री एवं वितरण व्यय	30(III)		6845.99		6006.14
	(iv) अन्य प्रावधान व्यय एवं ह्रास	30(IV)		4569.09		11128.35
	कुल व्यय			**47528.53**		**56632.58**
	पूर्व अवधि, अपवादित एवं असाधारण आइटम के पूर्व लाभ/हानि			(22727.48)		(39547.09)
	पूर्व अवधि संमजन (निवल)	31		252.11		(989.51)
v.	**अपवादिक, असाधारण आईटम एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)**			(22475.37)		(40536.60)
vi.	अपवादिक आइटम			0.00		0.00
vii.	असाधारण आईटम एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)			(22475.37)		(40536.60)
viii	असाधारण आईटम	32		4897.47		0.00
ix.	**कर पूर्व लाभ (हानि) (VII-VIII)**			(17577.90)		(40536.60)
x.	**कर व्यय**					
	(i) चालू कर		0.00		0.00	
	(ii) आस्थगित कर		0.00	0.00	0.00	0.00
xi.	**सतत प्रचालन के अवधि से लाभ/(हानि) (IX-X)**			(17577.90)		(40536.60)
xii.	विच्छिन्न प्रचालन से लाभ/(हानि)			0.00		0.00
xiii.	विच्छिन्न प्रचालन से कर व्यय			0.00		0.00
xiv.	**विच्छिन्न प्रचालन के अवधि से लाभ/(हानि) (XII-XIII)**			0.00		0.00
	अवधि के लिए लाभ (हानि) (XI+XIV)			(17577.90)		(40536.60)
	प्रति शेयर उपार्जन (अंकित मुल्य रु. 1000) (1) रु. में मूल			(290.03)		(668.83)
	(2) रु. में कमी			(290.03)		(668.82)

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1

वित्तीय विवरण के अन्या टिप्पणियाँ 33

टिप्पणी सं. 1 से 33 कैश फ्लो विवरण, वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है।

ए. के. कंठ
कम्पनी सचिव

आर. के. श्रीवास्तव
व. उपमहाप्रबंधक (ए&बी)

अरून्धती पंडा
निदेशक (वित्त)

डॉ. नलिन सिंघल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट
कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 21074749AAAACE5125

स्थान : राँची
दिनांक : 02.11.2021

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अप्रैल 2020–मार्च 2021 के तुलन पत्र पर संलग्न कैश फ्लो विवरण

₹ लाख में

		2020-21		2019-20
(अ) परिचालन कार्य से कैश फ्लो				
कर पूर्व निवल लाभ	(22475.37)		(40536.89)	
असाधारण आईटम	4897.47	(17577.90)	0.00	(40536.89)
समायोजन हेतु				
मूल्य ह्रास	606.10		734.23	
ब्याज खर्च	2749.47		2423.89	
असाधारण आईटम	(4897.47)		(0.00)	
पट्टा आय	(574.33)		(574.33)	
ब्याज कमाई	(261.74)		(66.08)	
इंक्रीमेंटल व्यवस्थाएँ	(325.41)	(2052.56)	(96.82)	(2420.89)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ		(19630.46)		(38116.00)
समंजन हेतु :				
व्यापार एवं अन्य प्राप्य राशि	(538.43)		19428.48	
वस्तु सूची	(2731.17)		(3194.37)	
व्यापार देय	15860.06		14577.08	
ऋण एवं अग्रिम	(620.98)	11969.48	(891.33)	29919.86
परिचालन कार्यकलापों से प्राप्त रोकड़		(7660.98)		(8196.14)
आयकर चुकाया		0.00		0.00
परिचालन कार्यकलापों से प्राप्त निवल रोकड़		(7660.98)		(8196.14)
(ब) निवेश कार्यक्लाप से कैश फ्लो				
स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय	(97.10)		(315.78)	
स्थायी परिसम्पत्तियों का विक्रय/समंजन	500.00		77.40	
मूल्य ह्रास में समंजन	(245.07)		(21.76)	
पूंजीगत चालू कार्य में समंजन	1050.68		(65.67)	
ब्याज कमाई	261.74		66.08	
पट्टा आय	574.33		574.33	
निवेश कार्य से प्राप्त निवल रोकड़		2044.58		(445.94)
(स) वित्तीय कार्यकलाप से कैश फ्लो				
ब्याज भुगतान	(2749.47)		(2423.89)	
असाधारण आईटम	4897.47		0.00	
अल्पकालीन ऋण	5188.75		(8524.86)	
आरक्षित एवं अतिरिक्त में परिवर्तन	(574.33)		574.33)	

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अप्रैल 2020–मार्च 2021 के तुलन पत्र पर संलग्न कैश फ्लो विवरण

₹ लाख में

	2020-21	2019-20
वित्तीय कार्यक्लाप से निवल रोकड़	6762.42	5526.64
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में निवल वृद्धि/(ह्रास)	1146.02	(2223.56)
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष का प्रारंभिक शेष	4279.48	6503.04
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष का समापन शेष	5425.50	4279.48
	1146.02	**(2223.56)**

टिप्पणी : उपर्युक्त कैशफ्लो विवरण लेखा मानक - 3 के अन्तर्गत परोक्ष रूप से तैयार किया गया है।

ए. के. कंठ	**आर. के. श्रीवास्तव**	**अरून्धती पंडा**	**डॉ. नलिन सिंघल**
कम्पनी सचिव	व. उपमहाप्रबंधक (ए & बी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट
कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 21074749AAAACE5125

स्थान : राँची
दिनांक : 02.11.2021

कॉर्पोरेट सूचनाएं

एच.ई.सी. एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है

एच.ई.सी. कैपिटल गुडस के निर्माण में लगी हुई है

टिप्पणी संख्या –1 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरण सुनाम संस्थान के सदृश्य पुरानी लागत प्रथा एवं लेखाकरण जमा प्रणाली के अनुसार तैयार किये गये हैं, जो सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्त के अनुरूप है।

   ये सब वित्तीय विवरण लेखा मानक द्वारा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधान को अनुपालन करने हेतु तैयार किया गया है।

2 **अचल परिसम्पत्तियां**

अचल परिसम्पत्तियां (राज्य सरकार से प्राप्त निःशुल्क भूमि को छोड़कर) अर्जन लागत या संचित अवमूल्यन रहित निर्माण के आधार पर उल्लिखित है। राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त भूमि का मूल्य रु. 1/- प्रति एकड़ है।

3 **वस्तुसूची मूल्य**

(क) वस्तुसूची का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित लागत शुद्ध प्राप्य कीमत इनमें से जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

(ख) तैयार माल एवं चालू कार्य का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित कारखाना लागत या शुद्ध कीमत, इनमें से जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

(ग) कच्चे माल, उपस्कर, फुटकर औजार, स्टोर्स एवं स्पेयर्स का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया जाता है।

(घ) आइटम जो सामान्यतया अन्तर परिवर्तनीय तथा जो उत्पादित माल या सेवाएं विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पृथक किये गये हैं, का मूल्यन वैयक्तिक लागत की विशिष्ट पहचान पर किया जाता है।

(ङ) अस्वीकृत एवं रद्दी मालों का मूल्यन समापन खाता दर पर होता है, जहाँ कच्चा माल के रुप में प्रयोग होता है।

(च) उप उत्पादों का मूल्यन बाजार दर पर होता है।

(छ) चालू कार्य के पूरा करने का प्रतिशत अर्थात चालू कार्य के समापन का स्तर तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर शॉप प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

(ज) शॉप में निर्गत फुटकर औजारों, रेखांकन औजारों आदि को तकनीकी आधार पर बट्टे में डालकर वस्तु सूची में दिखाया गया है अर्थात् साधारण औजारों को 4 वर्षों में एवं अन्य औजारों को दस वर्षों में, मोल्ड्स को नौ वर्षों में एवं अन्य औजारों को अनुमानित जीवन के आधार पर बट्टे में डाल कर वस्तु सूची में रखा गया है। पैटर्न की कीमत उसके निर्गत वर्ष में दर्शायी जाती है। उन वस्तुओं का केवल मात्रात्मक अभिलेख शॉप स्तर पर जहाँ व्यावहारिक है, रखा जाता है।

4 **राजस्व पहचान**

(क) जब महत्वपूर्ण जोखिम एवं स्वामित्व का लाभ ग्राहकों के पास अंतरण होता है जो बिक्री रिकॉर्ड की जाती है। दीर्घकालीन संविदाओं के लिए आंशिक आपूर्तियां जिनके जी.एस.टी. बिल दिए गये हैं, उनका मूल्यन संविदा मूल्य या प्रावधानिक मूल्य पर लेखाबद्ध किया गया है।

(ख) संविदा पर वृद्धि युक्तियां ढंग से सुनिश्चित कर प्रासंगिक संविदा की शर्तों के अनुरूप लेखाबद्ध किया गया है, जिसकी सम्पुष्टि/स्वीकृति ग्राहकों द्वारा होती है।

(ग) संविदा के प्रावधान या ग्राहकों द्वारा साक्ष्य स्वीकृति के बाद विभिन्नताओं को लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) बिक्री को जी.एस.टी. छोड़कर लेखाबद्ध किया गया है।

5 **दीर्घकालीन टर्न की संविदाएं**

(क) राजस्व पहचान

कार्य समापन की प्रतिशतता विधि आधारित संविदा की कुल प्राक्कलित लागत में प्रतिवेदित तिथि तक वास्तविक लागत खर्च के प्रतिशत के आधार पर राजस्व की पहचान की गई है।

उपस्कर/पद्धति के सप्लाई/इरेक्शन तथा सिविल कार्य से आम ग्राहकों को प्रेषण एवं प्रोजेक्ट साइट पर निष्पादित कार्य के आधार पर पहचान की गई।

(ख) अपूर्ण/आंशिक निष्पादित/ग्राहकों द्वारा मापी नहीं कार्य के लिए राजस्व पहचानः

वर्ष के अंत में निष्पादित कार्य, परन्तु मापी नहीं/आंशिक निष्पादित/अपूर्ण कार्य प्रोजेक्ट साइट पर कार्यरत एच.ई.सी. अभियंता और राजस्व पहचान के प्रयोजनार्थ हेतु ग्राहकों के प्रमाण पत्र के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

(ग) चालू कार्य का मूल्यन

संविदा कार्य के प्रमाणित मूल्य की सीमा तक वर्षानुवर्ष चालू कार्य पर की गई वृद्धि समेत व्यय को संबंधित संविदा के अन्तर्गत बिक्री में दिखाई गई राशि को घटाने के बाद चालू कार्य में लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) हानि के लिए आवश्यक प्रावधान यदि कोई, कार्य निष्पादित होने पर किया गया है।

6. वारंटी प्रावधान

बिक्री पर 0.5 प्रतिशत का प्रावधान संविदात्मक बाध्यताएं/वारंटी के तहत देयता के लिए किया गया है। वारंटी व्यय को आय में पुनःलिखित हेतु एक वर्ष बाद में प्रावधान होगा। वारंटी/संविदात्मक बाध्यता के आधार पर व्यय जिसे भार ग्रहण के वर्षों में स्वाभाविक शीर्षों के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया गया है।

7. कर्मचारी हित लाभ

- दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ, कर्मचारी की सेवा प्रारंभ करने की तिथि से बारह महीने के उपरांत देय अस्वस्थता अवकाश एवं सेवा निवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्यूटी, सेवा निवृत्त यात्रा भत्ता और अवकाश नगदीकरण की गणना वार्षिक तीसरी पार्टी बीमांकित मूल्यन के आधार पर योजनागत यूनिट क्रेडिट प्रक्रिया के द्वारा छूट देकर की गई है एवं अवकाश यात्रा भत्ता (पात्र कर्मचारी हेतु) की गणना प्राक्कलित आधार पर की गई है।
- दीर्घकालीन कर्मचारी हित लाभ, तुलन पत्र में पहचान की गई है जो दायित्व को वर्तमान मूल्य प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि अचिन्हित विगत सेवा कीमत के लिए समायोजित किया गया है यदि कोई हो, योजनागत परिसम्पत्ति के उचित मूल्य द्वारा कमी के अनुरूप जहाँ लागू है तथा बीमांकित लाभ/हानि, लाभ और हानि लेखा में एक सीमा तक पहचान की गई है।

  बीमांकित लाभ एवं हानि को संक्रमण दायित्व के अचिन्हित भाग से अधिक की सीमा तक लाभ और हानि लेखा में पहचान की गई है।
- दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के संबंध में संक्रमण दायित्व को पांच वर्षों से अधिक की अवधि तक सीधी पंक्ति आधारित व्यय के रूप पहचान की गई।
- उपदान (ग्रेच्यूटी) और नगदीकरण अवकाश की व्यवस्था तुलन पत्र तिथि के आंकड़ों के आधार पर बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार की गई है।

8. मूल्य ह्रास

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में उपबंधित दर के अनुसार सीधी रेखा विधि के आधार पर अचल सम्पत्ति पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है, तथा वर्ष के दौरान अचल सम्पत्ति में वृद्धि/कटौती के संबंध में यथानुपात मासिक आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है। जहाँ प्लांट एवं मशीनरी तथा प्लांट बिल्डिंग की नींव के लागत ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ प्लांट बिल्डिंग पर चालू दर से अवमूल्यन प्रभारित है।

9. विविध देनदार

(अ) इसमें से बिल शामिल है जिनका मूल्य निर्धारण लंबित होने तथा ग्राहकों से औपचारिक आदेश न होने के कारण बिल अन्तिम दर पर दिये गये हैं, जिनके प्रासंगिक संविदा के लिए प्राप्त अग्रिम/प्रगति अदायगी के यथानुपात आधार पर समंजन के उपरांत बिल नहीं बनाये गये हैं।

(ब) यह प्रावधान नियत तारीख से 3 वर्ष से अधिक के बकाया देनदार के खिलाफ किया गया है।

10. सहायता अनुदान

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि को इसी मद में खर्च किया गया/सहायकता अनुदान के अव्यचित शेष राशि चालू देयता के शीर्षाधीन बाद के लिए अग्रेनीत किया गया। अन्य राजस्व के लिए प्राप्त अनुदान को तत्संबंधित वर्षों में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया है।

11. निवेश

एक वर्ष से अधिक समय के लिए किये गये/किये जाने वाले अर्थात दीर्घकालीन निवेश का मूल्यन लागत में से मूल्य की गिरावट (अस्थिर गिरावट को छोड़कर) को घटा कर किया जाता है, जबकि चालू अद्धत निवेश का मूल्यन कम कीमत या बाजार मूल्य पर किया जाता है।

12. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास से संबंधित मुख्य व्यय भार ग्रहण करने के वर्ष में लाभ एवं हानि लेखा के अन्तर्गत प्रभारित किया गया है। अनुसंधान एवं विकास संबंधी अचल परिसम्पतियों पर किये गये व्यय का प्रतिपादन अन्य अचल परिसम्पत्तियों पर किये गये व्यय के अनुरूप ही किया जाता है। ऐसी अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्य हास अन्य अनुसंधान एवं विकास व्यय के साथ दर्शाया गया है।

13. विदेशी मुद्रा लेन–देन

आस्थगित उधार अदायगी समेत विदेशी मुद्रा लेन-देन से संबंधित मौद्रिक परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तुलनपत्र तिथि के अनुसार बकाया शेष का वर्षांत की दर पर परिवर्तित किया गया है। वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तथा प्राप्य लाभ और विदेशी मुद्रा के लेन-देन में हानि के परिवर्तन में अंतर को अचल सम्पति के अर्जन से संबंधित जो अचल सम्पत्ति की लागत में समंजन किये गये हैं, जो छोड़कर लाभ एवं हानि लेखा में लेखाबद्ध किया गया है।

14. एच.ई.सी. बिल से कंपनी द्वारा/कंपनी के खिलाफ/ग्राहकों से घटाया/वसूली परिनिर्धारित नुकसान (एलडी) या एचइसी द्वारा घटाया/वसूली परिनिर्धारित नुकसान (एलडी) ग्राहकों के बिल पर

(क) संविदाओं के अनुसार विशेष परिनिर्धारित नुकसानी को अभिनिश्चयन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है तथा विशेष नुकसानी के मामलों व कंपनी द्वारा विवादित दावों के युक्ति संगत प्राक्कलन के आधार पर कंपनी द्वारा प्रावधान किया गया है।

(ख) प्राप्त की गई परिनिर्धारित नुकसानी को वर्ष में वसूली के तीन साल के बाद आय के रूप में पहचान की गई है।

(ग) ग्राहकों द्वारा कटौती एल डी को वर्ष में व्यय हेतु पहचान की गई है।

(घ) निर्यात प्रोत्साहनों, रेलवे एवं बीमा दावे, विविध निपटान योग्य सामग्रियों तथा विशेष स्क्रैपों की बिक्री उत्पाद एवं सीमा शुल्क की वापसी तथा अन्य सदृश्य मदों से प्राप्त आय को राशि के अभिनिश्चयन तथा उनका प्राप्य/दावा की निश्चितता के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

15. अन्तर प्लांट लागत आवंटन

निम्नांकित व्यय निम्नवत वर्णित आधार पर विभिन्न प्लांटों में आवंटित किये गये हैं।

(अ) मुख्यालय व्यय (निवल) : प्रत्येक प्लांट के बजटीय उत्पादन

(ब) टाउनशिप (निवल) : प्रत्येक प्लांट के आवंटित आवास की संख्या

(स) ब्याज : पूर्ववर्ती वर्ष में प्रत्येक प्लांट द्वारा वास्तविक राशि का उपयोग

(द) के.ओ.सु.बल व्यय : प्रत्येक प्लांट में के.ओ.सु. बल के कार्मिक की प्रतिनियुक्ति।

16. वस्तु सूची

भंडार के अचल वस्तुसूची का विश्लेषण समय-समय पर किया गया है। प्रत्यक्ष सत्यापन में अधिशेष सामग्री को या तो निपटान कर दिया गया है या उसके वैकल्पिक उपयोग के लिए समीक्षा की गई है। यदि कोई हानि हो तो निश्चित होने पर लेखाबद्ध किया गया है। यद्यपि कि अचल आइटम तीन वर्षों से अधिक का है, अधिकतम प्रावधान यदि आवश्यक हो, तो वस्तुसूची की कीमत के 90 प्रतिशत तक सीमित होगा।

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	31.03.2021	31.03.2020
टिप्पणी संख्या –2	**शेयर पूंजी**	
अधिकृत पूंजी		
10000000 (विगत वर्ष 10000000) इक्विटी शेयर प्रत्येक रु.1000/-	100000.00	100000.00
निर्गत एवं अभिदत पूंजी		
60,60,788 (विगत वर्ष 60,60,788) इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 1000/- के पूर्णतः भुगतान किए गए, जिसमें 5496 (विगत वर्ष 5496) शेयर के मूल्य नकद में न प्राप्त होकर अन्य रुप में प्राप्त हुए।	60607.88	60607.88
निबल शेष	**60607.88**	**60607.88**

वर्ष के अन्त तक शेयर धारकों के पास 5% से अधिक शेयर है, इनका पूर्ण ब्यौरा

	शेयरों की संख्या	% पास में है	शेयर की संख्या	% पास में है
नोमिनी के साथ भारत के राष्ट्रपति (पी.ओ.आई)	6060788	100%	6060788	100%
अंकित मूल्य प्रत्येक शेयर (रु.)		1000.00		1000.00

टिप्पणी संख्या –3 — **आरक्षित एवं अधिशेष**

	31.03.2021		31.03.2020	
पूंजी आरक्षित				
प्रारंभिक अधिशेष	8987.97		9562.30	
वर्ष के दौरान योग	0.00		0.00	
	8987.97		9562.30	
वर्ष के दौरान कटौती	574.33	8413.64	574.33	8987.97
सरप्लस				
प्रारंभिक अधिशेष	(109668.79)		(69131.90)	
वर्ष के दौरान योग	(17577.90)	(127246.69)	(40536.89)	(109668.79)
योग		**(118833.05)**		**(100680.82)**

	31.03.2021	31.03.2020
टिप्पणी संख्या –4	**दीर्घकालीन उधार**	
टर्म ऋण		
भारत सरकार से गैर-योगनागत ऋण	0.00	0.00
योग	**0.00**	**0.00**
टिप्पणी संख्या –5	**अन्य दीर्घकालीन देयताएँ**	
ठेकेदार से प्रतिभूति एवं अन्य जमा	1.80	2.20
अन्य देयताएँ	13.68	35.47
योग	**15.48**	**37.67**

तुलन पत्र ब्योरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2021		31.03.2020
टिप्पणी –6		**दीर्घकालीन व्यवस्थाएँ**		
(अ) कर्मचारियों के लाभ हेतु व्यवस्था				
उपदान हेतु व्यवस्था	5944.50		5952.21	
छुट्टी नकदीकरण के लिए व्यवस्था	2698.12		2561.98	
छुट्टी यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	54.14	8696.76	49.80	8563.99
(ब) अन्य				
विकृत परिसम्पत्तियों हेतु व्यवस्था	62.40		62.40	
वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था	107.74	170.14	232.04	294.44
योग		**8866.90**		**8858.43**

	31.03.2021	31.03.2020
टिप्पणी –7	**अल्पकालीन ऋण**	
प्रतिभूत ऋण		
कार्यशील पूंजी हेतु बैंक से ऋण (कच्चामाल, तैयार माल, चालू कार्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों एवं खाता ऋण के हाइपोथिकेशन से प्रतिभूत)	20398.08	15209.33
योग	**20398.08**	**15209.33**

	31.03.2021	31.03.2020
टिप्पणी संख्या –8	**व्यवसाय देय**	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदार का कुल बकाया	12898.47	10231.17
माध्यम उद्यमों का कुल बकाया	433.00	690.77
योग	**13331.47**	**10921.94**

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2021		31.03.2020
टिप्पणी संख्या –9		**अन्य चालू देयताएँ**		
कर्मचारियों के देयताएँ*		10404.37		8797.37
स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना दायित्व		1.88		1.88
भारत सरकार से ऋण*	4789.00		4789.00	
जोडे : प्राप्त ब्याज एवं सरकारी ऋण पर देय	5889.34	10078.34	4812.78	9601.78
सरकारी अनुदान (अनयूटीलाइज्ड)				
कर भुगतान हेतु भारत सरकार से प्राप्त किए	18243.00		18243.00	
घटाये : पूंजी लाभ कर के विरुद्ध चार्ज (13-14)	9245.61		9245.61	
घटाये : पूंजी लाभ कर के विरुद्ध चार्ज (17-18)	6200.00		6200.00	
घटाये : अग्रिम कर शेष	2054.39		2246.39	
जोडे : ब्याज आय	2423.15		2315.17	2866.17
डिएचआइ से प्राप्त अंश		130.00		130.00
ठेकेदारों से प्रतिभूति एवं अन्य जमा राशि		3789.44		3386.20
अनुसूचित बैंकों के साथ ओवर ड्राफ्ट खाता		0.00		16.59
सरकारी अनुदान से प्राप्त रकम		500.00		500.00
सीइएफसी बकाया ब्याज सहित		8924.78		6362.06
विद्युत बकाया		11846.64		8956.20
जल कर बकाया		4447.90		4153.75
ग्राहकों से अग्रिम		13624.46		10120.43
अन्य देयताएँ		1353.25		1229.29
सीआइएसएफ बकाया पर ब्याज		325.03		337.31
देय कर		875.55		289.38
विविध		2929.87		2734.60
योग		**72997.66**		**59483.01**

*यह ग्रेच्युटी पर ब्याज बकाया 464.41 लाख रु. शामिल करता है। **भुगतान के लिए परिपक्व सरकारी ऋण

		31.03.2021		31.03.2020
टिप्पणी संख्या –10		**अल्पकालीन व्यवस्थाएँ**		
(अ) कर्मचारियों के हित लाभ हेतु व्यवस्था				
उपदान के लिए व्यवस्था	687.33		615.76	
छुट्टी नकदीकरण के लिए व्यवस्था	917.94		844.08	
निवृति यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	3.79		2.88	
छुट्टी यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	171.93		157.35	
कर्मचारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण की व्यवस्था	124.36	1905.35	124.89	1744.96
(ब) अन्य				
वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था		211.33		54.78
योग		**2116.68**		**1759.74**

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

टिप्पणी संख्या –11 सम्पति, प्लांट एवं उपस्कर

परिसम्पतियों के स्वरूप	कुल खंड				मूल्य ह्रास				निबल खंड	
	01.04.20 को लागत	योग / समंजन	कटौती / समंजन	31.03.21 को लागत	31.03.20 को	वर्ष के लिए	योग / (कटौती)	31.03.21 तक	31.03.21 को	31.03.20 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भूमि (भूमि विकास सहित)	219.82	0.00	0.00	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	219.82	219.82
भवन	5838.91	0.00	0.00	5838.91	5318.24	45.14	0.00	5363.38	475.53	520.67
सड़कें	266.17	0.00	0.00	266.17	252.90	0.00	0.00	252.90	13.27	13.27
प्लांट एवं मशीनरी	28239.04	10.20	500.00	27749.24	24055.01	493.07	245.07	24303.01	3446.23	4184.03
फर्नीचर एवं उपस्कर	161.96	3.79	0.00	165.75	115.33	2.56	0.00	117.89	47.86	46.63
मोटर गाड़ी	147.73	0.00	0.00	147.73	134.75	0.80	0.00	135.55	12.18	12.98
रेलवे पथिकाएँ	469.39	0.00	0.00	469.39	438.76	3.20	0.00	441.96	27.43	30.63
कार्यालय उपस्कर	229.31	2.43	0.00	231.74	178.60	14.19	0.00	192.79	38.95	50.71
कम्प्यूटर एवं डाटा प्रोसेसिंग यूनिट	581.80	12.42	0.00	594.22	517.46	23.59	0.00	541.05	53.17	64.34
विद्युत संस्थापनाएँ एवं उपस्कर	772.48	68.26	0.00	840.74	661.76	21.39	0.00	683.15	157.59	110.72
पाइपलाइन एवं सल्यूसेस	605.55	0.00	0.00	605.55	560.47	2.16	0.00	562.63	42.92	45.08
अन्य परिसम्पत्तियाँ (अ) के लघु योग	**37532.16**	**97.10**	**500.00**	**37129.26**	**32233.28**	**606.10**	**245.07**	**32594.31**	**4534.95**	**5298.88**
लीज में दिए गए परिसम्पत्तियाँ										
भूमि (भूमि विकास सहित)	22.32	0.00	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22.32	22.32
भवन	807.08	0.00	0.00	807.08	531.43	0.00	0.00	531.43	275.65	275.65
अन्य परिसम्पत्तियाँ (ब) के लघु योग	**829.40**	**0.00**	**0.00**	**829.40**	**531.43**	**0.00**	**0.00**	**531.43**	**297.97**	**297.97**
सम्पूर्ण परिसम्पत्तियाँ										
31.03.2020 को प्लांट एवं मशीनरी	1015.03	0.00	0.00	1015.03	952.65	0.00	0.00	952.65	62.38	62.38
2020-21 के दौरान प्लांट एवं मशीनरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

परिसम्पतियों के स्वरूप	कुल खंड				मूल्य ह्रास				निबल खंड	
	01.04.20 को लागत	योग / समंजन	कटौती / समंजन	31.03.21 को लागत	31.03.20 को	वर्ष के लिए	योग / (कटौती)	31.03.21 तक	31.03.21 को	31.03.20 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सम्पूर्ण परिसम्पतियाँ (स) के लघु-योग	**1015.03**	**0.00**	**0.00**	**1015.03**	**952.65**	**0.00**	**0.00**	**952.65**	**62.38**	**62.38**
कुल योग टेन्जीबल स्थायी परिसम्पतियाँ (अ+ब+स)	**39376.59**	**97.10**	**500.00**	**38973.69**	**33717.36**	**606.10**	**245.07**	**34078.39**	**4895.30**	**5659.21**
विगत वर्ष के आंकड़े	39138.21	315.78	77.40	39376.59	33004.89	734.23	21.76	33717.36	5659.23	

चालू अवधि मूल्यह्रास	851.17
अवधि पूर्व ह्रास	245.07
सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	606.10

टिप्पणी :- जमीन की स्थिती — **एकड़**

(क)	झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित जमीन	2035.14
(ख)	सी.आई.एस.एफ. को हस्तांतरित जमीन	158.00
(ग)	स्मार्ट सिटी के लिए झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित जमीन	647.08
(घ)	अतिक्रमण जमीन	379.91
(ङ)	लीज में दिए गए जमीन	313.31
(च)	अपने यूज के लिए जमीन	3666.07
	मूल डिड (बिलेख) के अनुसार कुल जमीन	7199.51

टिप्पणी संख्या –12 **विकाशाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ**

योग (अ-ब) **0.00** **0.00**

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2021	31.03.2020
टप्पणी संख्या –13		**पूंजीगत चालू कार्य**	
पूंजीगत चालू कार्य			
प्लांट एवं मशीनरी		2496.62	2401.64
घटाये : व्यवस्था		1928.11	782.45
	योग-	**568.51**	**1619.19**
टिप्पणी संख्या –14		**गैर–चालू निवेश**	
इक्विटी उपकरण में निवेश			
(व्यापार निवेशों के अलावा) अनुदघृत 3575 (विगत वर्ष 3575) ई.पी.आई.लि. के इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य रु. 10.00 प्रति शेयर है।		0.36	0.36
	योग-	**0.36**	**0.36**

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि. के इक्विटी शेयरों का अभिदत्त अंकित मूल्य इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि. के आदेश संख्या डी.एल.आई/एस.ई.सी/ए.जी.एम/003/40 दिनांक 22.03.2011 के अनुमोदन से रु. 38.95 से घटकर रु. 10.00 प्रति शेयर किया गया है। 31.03.2020 को वित्तिय स्थिति के अनुसार शेयर का मूल्य 2.00 लाख है।

टिप्पणी संख्या –15 — **दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम**

	31.03.2021 कुल रकम	व्यवस्था	निबल राशि	31.03.2020 कुल रकम	व्यवस्था	निबल राशि
(अ) ऋण एवं अग्रिम						
अग्रिम ऋण तथा अग्रिम अन्य राशियाँ जो नकद वस्तु या प्राप्य मूल्य में वसुलने योग्य है (ठेकेदारों वाह्य पार्टियों को आपूर्तित तथा/समंजन निलंबिन सामग्रियों के मूल्य सहित)	कुल रकम	व्यवस्था	निबल राशि	कुल रकम	व्यवस्था	निबल राशि
संदेहात्मक	568.88	568.88	0.00	643.78	643.78	0.00
(ब) प्रतिभूति जमा						
निजी पार्टियों के पास जमा	0.87	0.32	0.55	0.90	0.35	0.55
सरकारी अधिकारियों के पास जमा	202.71	193.75	8.96	155.56	146.60	8.96
(स) सुरक्षा जमा राशि	38.14	38.14	0.00	44.95	44.95	0.00
(द) अन्य						
कर्मचारियाँ का अग्रिम	0.18	0.18	0.00	7.50	7.50	0.00
प्राप्य दावें	4665.98	4665.89	0.09	4666.34	4666.25	0.09
स्रोत पर काटे गये आयकर	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00
योग-	**5476.76**	**5467.16**	**9.60**	**5526.43**	**5516.83**	**9.60**

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम का विवरण	31.03.2021	31.03.2020
प्रतिभूत प्राप्य समझे गये	0.00	0.00
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये	9.60	9.60
संदेहात्मक	5467.76	5516.83
योग	**5476.16**	**5526.43**

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

टिप्पणी संख्या –16 — अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ

	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2020
दीर्घकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य				
(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग				
अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये	11928.71		12461.35	
संदेहात्मक	27463.33		23741.81	
योग (अ)	**39392.04**		**36203.16**	
(ब) अन्य				
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये	0.00		137.11	
संदेहात्मक	790.99		660.88	
योग (ब)	**790.99**		**797.99**	
लघु योग (अ+ब)	**40183.03**		**37001.15**	
घटाये: संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था	21461.49		18921.70	
एल.डी.कटौती एवं चार्ज के विरुद्ध व्यवस्था	6792.83	11928.71	5480.99	12598.46
कुल योग		**11928.71**		**12598.46**

1. दीर्घकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य में आपूर्ति की गई उपकरण और स्पेयर्स मद में 9251.45 लाख रुपया (विगत वर्ष 9802.39 लाख रु.) भी शामिल है जो देय नहीं है जिनकी वसूली कुछ संविदात्मक वाध्यता के अनुपालन पर निर्भर है।

तुलन पत्र ब्योरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2021		31.03.2020
टिप्पणी संख्या –17		वस्तुसूची		
(प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित)				
कच्चे माल तथा अवयव	6083.01		6922.70	
घटाये: व्यवस्था / स्टॉक समंजन	2925.45	3157.56	2757.68	4165.02
भंडार, अतिरिक्त पुर्जे एवं अवयव निर्माण सामग्रियों सहित	1275.16		1544.60	
घटाये: व्यवस्था / स्टॉक समंजन	236.13	1039.03	331.62	1212.98
मार्गस्थ माल / निरीक्षणाधीन	363.96		553.83	
घटाये: व्यवस्था	232.03	131.93	248.90	304.93
अलग्न औजार, (लूज टूल्स) रेखांकन यंत्र इत्यादि	1267.94		1098.34	
घटाये: व्यवस्था	55.36	1212.58	55.85	1042.49
निर्मित उत्पाद स्टॉक	761.90		821.99	
घटाये: व्यवस्था	74.07	687.83	25.50	796.49
प्रगतिशील कार्य	8297.39		4336.17	
घटाये: व्यवस्था	43.79	8253.60	106.72	4229.45
कुल वस्तु	18049.36		15277.63	
घटाये: व्यवस्था / स्टॉक समंजन	3566.83		3526.27	
योग-		**14482.53**		**11751.36**

टिप्पणी :- 1. समापन भंडार में निर्मित एवं प्रगतिशील कार्य के लिए 143.89 लाख रुपये (विगत वर्ष 130.43 लाख रु.) मूल्य के बन्द, निरस्त पुराने कार्यदेशों की वे वस्तुएँ जिनका मूल्यांकन स्क्रैप दर पर किया गया है, शामिल है।

2. अचल कच्चा माल, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे जो तीन वर्ष के अधिक के है, का मूल्य 3451.66 लाख रुपये (विगत वर्ष 3386.22 लाख रु.) है एवं इसके लिए वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त पाया गया।

3. शॉपफ्लोर में 76.26 लाख रु. का स्क्रैप सहित कच्चामाल एवं अवयव (विगत वर्ष 159.87 लाख रु.) शामिल है।

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2021			31.03.2020	
टिप्पणी संख्या –18		**व्यवसाय प्राप्य योग्य**				
अल्पकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य						
(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग	छः महीने से ऊपर	अन्य ऋण	योग	छः महीने से ऊपर	अन्य ऋण	योग
अप्रतिभूत प्राप्यःसमझे गये	881.63	10664.70	11546.33	3131.71	3795.76	6929.47
संदेहात्मक समझे गये	130.14	1223.62	1353.76	1893.17	80.87	1974.04
लघु योग (अ)	**1011.77**	**11888.32**	**12900.09**	**5026.88**	**3876.63**	**8903.51**
(ब) अन्य						
अप्रतिभूत प्राप्यः समझे गये	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संदेहात्मक समझे गये	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लघु योग (ब)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
योग (अ+ब)			**12900.09**			**8903.51**
घटाये : संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था			1124.28			846.11
घटाये : एल डी कटौती एवं चार्ज के विरुद्ध व्यवस्था			229.28			1127.93
निबल योग			**11546.33**			**6929.47**

टिप्पणी :- 1. अल्पकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य में आपूर्ति की गई उपकरण एवं स्पेयर्स मद में 189.78 लाख (विगत वर्ष ₹ 104.25 लाख) भी शामिल है जो देय नहीं है। जिनकी वसूली कुछ संविदात्मक बाध्यता के अनुपालन पर निर्भर है।

टिप्पणी संख्या –19	**नकद एवं नकद समकक्ष**			
(अ) अनुसूचित बैंक चालू खाता में शेष	889.64		1368.47	
(ब) अपने पास रखे हुए नकद	2.18		2.17	
घटाया : प्रावधान	0.28	891.54	0.28	1370.36
(स) अन्य				
बैंकों के साथ चिहिंत शेष				
अनुसूचित बैंक के साथ अल्पकालीन जमा •		4533.96		2909.12
योग-		**5425.50**		**4279.48**

- विकृत नोट एवं सिक्के प्रचलन में नहीं है।

•• पूंजीलाभ कर रु. 2991.20 लाख भुगतान के लिए अनुउपयोग सरकारी अनुदान सम्मलित है।

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2021		31.03.2020
टिप्पणी संख्या –20		**अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम**		
(अ) **ऋण एवं अग्रिम**				
अप्रतिभूति प्राप्य समझे गये		251.05		355.74
(ब) **प्रतिभूति जमा**				
निजी पार्टियों के पास जमा		4.59		41.10
सरकारी अधिकारियों के पास जमा		893.77		694.12
(स) **सुरक्षित जमा**		972.98		894.05
(ब) **अन्य**				
कर्मचारियों का अग्रिम		50.09		92.21
पूर्वदत्त व्यय		156.18		148.34
प्राप्य दावे		3795.58		3030.60
स्रोत पर काटे गये आयकर #		975.67		1280.40
लधु योग		**7099.91**		**6536.56**
घटायेः अप्राप्य एवं संदेहात्मक अग्रिम के लिए व्यवस्था		9.23		66.86
योग-		**7090.68**		**6469.70**
अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम का विवरण				
प्रतिभूत प्राप्य समझे गये		6839.63		6113.96
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये		251.05		355.74
संदेहात्मक		9.23		66.86
योग		7099.91		6536.56
टिप्पणी संख्या –21		**अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ**		
किराया एवं अन्य प्राप्य				
(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग		1262.32		4236.00
अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये (झारखण्ड सरकार)				
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये	2518.73		2936.68	
संदेहात्मक	919.97	3438.70	372.06	3308.74
(ब) किराया				
अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये	523.58		540.63	
संदेहात्मक	386.70	910.28	832.58	1373.21
योग-(अ+ब)		**5611.30**		**8917.95**
घटाये : संदेहात्मक प्राप्य योग्य हेतु प्रावधान		1306.67		1204.64
निबल रकम		**4304.63**		**7713.31**

लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		2020-21		2019-20
टिप्पणी संख्या -22		प्रचालन से राजस्व		
बिक्री एवं सेवाएं				
उत्पादों की बिक्री	19756.87		12656.50	
सेवाओं की बिक्री	519.40	20276.27	611.62	13268.12
अन्य प्रचालन राजस्व				
आंतरिक उपयोग के लिए जॉब	1065.61		707.06	
जोड़ेः अन्तर प्लांट हस्तान्तरण	0.00	1065.61	0.00	707.06
योग		**21341.88**		**13975.18**

	2020-21	2019-20
टिप्पणी संख्या -23	अन्य आय	
ब्याज	261.74	66.08
किराया	1559.40	1444.01
स्टोर्स की बिक्री	294.87	26.17
विविध आय	495.89	171.84
एच टी आई से आय	29.91	36.18
परिसम्पत्तियों के बिक्री पर लाभ	0.00	29.54
अधिक प्रावधान प्रतिलेखित	519.42	1012.70
जल एवं बिजली चार्ज	297.94	323.79
योग-	**3459.17**	**3110.31**

		2020-21		2019-20
टिप्पणी संख्या -24		सामग्री खपत लागत		
कच्चा माल एवं अवयवों की खपत	6625.85		8511.05	
घटायेः अंतर प्लांट हस्तान्तरण	1388.14	5237.71	2577.70	5933.35
स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत	5192.79		5825.81	
घटायेः अंतर प्लांट हस्तान्तरण	81.70	5111.03	96.25	5729.56
योग		**10348.74**		**11662.91**

लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		2020-21		2019-20
टिप्पणी संख्या - 25		चालू कार्य एवं निर्मित माल के वस्तुसूची में परिवर्तन		
चालू कार्य एवं निर्मित माल के मूल्य में ह्रास/(अभिवृद्धि)				
चालूकार्य				
प्रारंभिक स्टॉक	4336.17		2914.50	
समापन स्टॉक	8297.38	(3961.21)	4336.17	(1421.67)
तैयार स्टॉक				
प्रारंभिक स्टॉक	821.99		389.62	
समापन स्टॉक	761.90	60.90	821.99	(432.37)
योग		**(2901.12)**		**(1854.04)**

टिप्पणी संख्या -26 कर्मचारी हितलाभ व्यय

	2020-21	2019-20
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	9250.64	8916.01
भविष्य निधि के मद में निगम		
अंशदान और कर्मचारी पेंशन फंड	997.56	971.15
कामगार एवं कर्मचारी कल्याण व्यय	691.15	872.36
छुट्‌टी नकदीकरण	683.78	1027.15
ग्रेच्यूटी (उपदान)	684.27	1831.57
लघु योग-	**12307.40**	**13618.25**
घटायेः अनुसंधान एवं विकास व्यय का अंतरण	65.27	79.06
योग-	**12242.13**	**13539.19**

● यह बकाया ग्रेच्यूटी पर ब्याज 59.75 (पिछले वर्ष 404.66 लाख) शामिल करता है।

टिप्पणी संख्या -27 वित्तीय लागत

	2020-21	2019-20
बैंक उधार पर ब्याज	1672.90	1370.68
सरकारी ऋण पर ब्याज	1076.57	1053.21
योग-	**2749.47**	**2423.89**

लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		2020-21		2019-20
टिप्पणी संख्या –28		**मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय**		
टिप्पणी सं. 11 के अनुसार मूल्य हास		606.10		734.23
डिपलेशन व्यय				
टिप्पणी सं. 11 के अनुसार हानिकरण		0.00		(1.01)
योग-		**606.10**		**733.22**
टिप्पणी संख्या –29	**अनुसंधान और विकास व्यय**			
अनुसंधान और विकास व्यय				
वेतन एवं भत्ते		65.27		79.06
योग-		**65.27**		**79.06**
टिप्पणी संख्या –30		**अन्य व्यय**		
(अ) निर्माण सेवा लागत				
जल, ऊर्जा और इंधन		4120.68		3950.33
मरम्मती एवं अनुरक्षण				
प्लांट एवं मशीनरी	227.93		249.27	
बिल्डिंग	39.49		63.12	
अन्य	133.48	400.90	105.71	418.10
बीमा		140.05		213.50
लघु योग (अ)		**4661.63**		**4581.93**
(ब) निर्माण एवं अन्य प्रचालन व्यय				
मशिनिंग एवं एसेम्बली चार्ज	236.85		475.63	
अलग्न औजार चार्जड ऑफ	924.28		794.63	
वाहय एजेंसी द्वारा निर्मित जॉब	4146.96		4522.98	
टर्न की प्रोजेक्ट व्यय	2965.27		2054.51	
उत्पादन के लिए अन्य प्रभार	1140.45	9413.81	1019.69	8867.44
घटाये: अंतर प्लांट अंतरण (सेवाएं)		72.58		535.51
लघु योग- (ब)		**9341.23**		**8331.93**
(स) प्रशासनिक बिक्री एवं वितरण व्यय				
किराया		37.59		30.88
बिजली एवं पेय जल व्यय		939.69		1037.02
सुरक्षा व्यय		2687.68		2289.74
सीआइएसएफ बकाया पर ब्याज		706.11		563.53
यात्रा एवं सवारी भत्ता		57.17		176.50
बैंक प्रभार		1023.38		387.21
टेलीफोन एवं डाक व्यय		27.39		34.90
प्रिंटींग एवं स्टेशनरी व्यय		25.49		35.07
विविध		222.41		251.64
विलम्ब प्रेषण पर ब्याज		266.24		166.18
CVLDRS सरकार के स्कीम के तहत		0.00		95.23
मोटर वाहन चालन व्यय		157.77		206.55
परामर्शी एवं वैधिक व्यय		91.64		236.79
नगरपालिका कर/प्रभार		39.67		10.59

लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		2020-21		2019-20
एल.डी कटौती एवं चार्जड		413.41		338.47
बिक्री एवं वितरण व्यय		144.48		137.11
अंकेक्षक पारिश्रमिक				
अंकेक्षक शुल्क	2.25		2.25	
कर अंकेक्षण शुल्क	0.38		0.38	
आंतरिक अंकेक्षक शुल्क	1.27		1.90	
रिर्म्बसमेन्ट व्यय	0.15	4.05	0.13	4.66
प्रशिक्षण व्यय		1.82		4.07
लघु योग (स)		**6845.99**		**6006.14**
(द) अन्य प्रावधान/व्यय बट्टे में डालना				
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		3047.24		6194.05
अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान		1.01		0.00
वारंटी व्यय का प्रावधान		87.03		66.25
विदेशी मुद्रा अंतर हेतु प्रावधान		(37.54)		91.88
प्राप्ति के लिए प्रावधान		0.00		4488.38
स्टॉक सत्यापन के अन्तर हेतु प्रावधान		287.12		134.51
CWIP प्रावधान		1145.65		0.00
विविध प्रावधान		38.58		14.92
विविध हानियां बट्टे में डालना		0.00		138.36
लघु योग - (द)		**4569.09**		**11128.35**
कुल योग (अ+ब+स+द)		**25417.94**		**30048.63**

टिप्पणी संख्या –31 **पूर्व अवधि समंजन**

आय				
बिक्री (सेवा आय के साथ)	(0.00)		(2.73)	
अंतर प्लांट हस्तान्तरण	(64.62)		(0.00)	
विविध आय	(0.00)	(64.62)	(0.56)	(3.29)
घटाये: व्यय				
कच्चा माल की खपत	5.40		0.00	
कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	(0.00)		(357.77)	
सीआइएसएफ बकाया पर ब्याज	(0.00)		1311.73	
मूल्य हास	(245.07)		0.00	
अवधी पूर्व नगर निगम कर	89.98		0.00	
विविध व्यय (शुद्ध)	(27.00)	(187.49)	32.27	986.22
पूर्व अवधि समंजन (निवल)		252.11		(989.51)

टप्पणी संख्या –32 **असाधारण आईटम**

आय		
झारखण्ड सरकार से अनुदान	4897.47	0.00
निबल	**4897.47**	**0.00**

टिप्पणी संख्या 33 – ''वित्तीय विवरण के लिए अन्य टिप्पणियां''

33.1 आकस्मिक देयताएँ और प्रतिवद्धता (प्रदान नहीं की गई)

₹ लाख में

क्रम सं.	विवरण	2020-21	2019-20
1	ठेका की अनुमानित राशि, शेष को पूँजी खाते में डाला जाएगा और इनके लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।	5387.47	15089.37
2	क्रेडिट की असमाप्त पत्र	571.89	709.56
3	असमाप्त बैंक गारंटी	17229.71	14470.50
4	होल्डींग कर	1233.43	934.12
5	जल बकाया	989.82	1094.42
6	(अ) पी.एफ. बकाया राशि के प्रति हर्जाना। ई.पी.एफ. बकाया का भुगतान में चुक होने से रिजनल भविष्यनिधि आयुक्त, राँची का भुगतान हेतु नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। एच. ई. सी लि. अध्यक्ष केन्द्रीय निदेशक बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को 03/76 से 09/99 तक के बीच की अवधि में 9501.54 लाख रु. की क्षति को माफ करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसे रिजनल भविष्य निधि आयुक्त, राँची द्वारा दिनांक 12.11.2010 को अस्वीकृत किया गया। कम्पनी ने फिर से नागरिक विविध पेटीशन (सी एम पी) में पेटीशन सी. पी 476/2010 झारखण्ड माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व दायर की। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड ने आदेश दिनांक 14.10.2019 को याचिका सीएमपी 476/2010 को खारिज कर दिया। ईपीएफओ, के कार्यालय के पत्र क्रमांक जेएच/आरक्यू/आरएनसी/रिकवरी/दिनांक 23.12.2019 से बैंक खाते को संलग्न किया, एचईसी लिमिटेड ए WP (सी) रिकवरी अधिकारी के आदेशों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 09.01.2020 को 62/2020 दायर किया गया है, ईपीएफओ ने जेएच/आरओ/आरएनसी/Recovery/ 1465/2019/1397/34379 और JH/RO/RNC/Recovery स्टेट बैंक को जारी किए गए ERY/1465/2019/1398/34380 dt 23.12.2019 भारतीय और केनरा बैंक। याचिकाकर्ता मेसर्स एचईसी लिमिटेड, 23.12.2019 के नामे, 18.01.2020 को आदेश में झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय प्रतिबंधात्मक/अटैचमेंट आदेश को अगले नियम समय तक रोक लगाने का निर्देश दिया है। (ब) 01.04.1996 से 14.11.2019 तक हुए विलंब प्रेषण के लिए पत्रांक संख्या- JH/RAN/0001465/000/Enf 502/Damages/3954/10947 दिनांक 28.07.2021/30.07.2021 के माध्यम से आरपीएफसी, राँची में ईपीएफ एवं एमपी एक्ट 1952 के धारा 14(बी) के तहत प्रस्तुत होने हेतु समन जारी किया है (एवं धारा 7Q के तहत ब्याज भुगतान के आदेश)। (स) इसके भुगतान के लिए रिजनल पीएफ कमिशनर, राँची से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है।	9501.54 629.62	9501.54 0.00
7	**कानूनी केस :-** एच. ई. सी. के विरुद्ध दावा दायर की परन्तु ऋण का पावती नहीं	23996.35	18730.94

केस	रकम	
(अ) बढ़ाया भूमि अधिग्रहण मुआवजा केस	2020-21	2019-20
रांची गौशाला से संबंधित 157.42 एकड़ भूमि का अधिग्रहण तत्कालीन सरकार ने एचईसी और उसके सहायक और संबद्ध उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 3500 रुपये प्रति एकड़ की दर से वर्ष पचास के दशक में किया था। मुआवजे का भुगतान और कब्जे को एचसी को सौंप दिया गया था। बाद में 1971 में LA केस नंबर 22/1971 रांची गौशाला द्वारा मुआवजे में वृद्धि के लिए दायर किया गया था, जिसे निर्णय दिनांक 12.01.1998 और अवार्ड दिनांक 19.01.1998 के फैसले से बढ़ाया गया था। एलडी अदालत ने प्रति एकड़/20000 रुपये के मुआवजे को बढ़ाने के अलावा एक साल के लिए/30% और ब्याज/9% (17.10.1958 से 16.10.1959 के लिए) और 15% प्रति वर्ष राशि 17.10.1959 से राशि प्राप्ति तक का अवार्ड (पुरस्कार) प्रकाशित किया। इस प्रकार पहले से भुगतान किए गए 4.68 लाख के मुआवजे के समायोजन के बाद, रांची गौशाला को मुआवजे की राशि रु. 247.22 लाख 31.12.1997 को प्रारम्भिक और ब्याज का समावेश में आ गई। पुरस्कार से दुखी होकर, मेसर्स एचईसी लिमिटेड ने माननीय उच्च न्यायालय में एफए नंबर 43/98 से विचार निवारक के लिये एक अपील दायर की और रांची गौशाला ने सिविल कोर्ट, रांची में पुरस्कार के कार्यान्वयन के लिए केस संख्या 15/1998 दायर किया है।	1108.45	1071.15

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>मध्यस्थता
• रामा फेरो एलोय एण्ड फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड
• एस बनर्जी
• अन्य (केस नं.-5)</td><td>
707.19
246.64
55.57</td><td>
695.67
246.64
55.57</td></tr>
<tr><td></td><td>1009.40</td><td>997.88</td></tr>
<tr><td>(स) एमएसएमइडी (केस नं.-9)</td><td>1297.73</td><td>713.06</td></tr>
<tr><td>(द) अन्य कानूनी केस
• रामपुर इन्जिनियरिंग कं. लिमिटेड
• आदर्श कॉपरेटिव
• अन्य (केस नं.-15)</td><td>
16945.40
1271.81
2363.56</td><td>
12500.00
1271.81
2177.04</td></tr>
<tr><td></td><td>20580.77</td><td>15948.85</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>वाणिज्य कर (वैट एवं सीएसटी) आयुक्त, राँची के पास विचाराधीन मूल्यांकन आदेश अपील के तहत माँग
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>वैट रकम</th><th>सीएसटी रकम</th><th>कुल रकम</th></tr>
<tr><td>2008-09</td><td>10.78</td><td>10.35</td><td>21.13</td></tr>
<tr><td>2009-10</td><td>19.63</td><td>57.76</td><td>77.39</td></tr>
<tr><td>2010-11</td><td>92.41</td><td>137.18</td><td>229.59</td></tr>
<tr><td>2011-12</td><td>79.18</td><td>794.55</td><td>873.73</td></tr>
<tr><td>2012-13</td><td>25.80</td><td>17.44</td><td>43.24</td></tr>
<tr><td>2013-14</td><td>397.75</td><td>19.02</td><td>416.77</td></tr>
<tr><td>2014-15</td><td>904.90</td><td>19.75</td><td>924.65</td></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>124.91</td><td>57.88</td><td>182.79</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>25.80</td><td>1804.57</td><td>1830.37</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>18.87</td><td>97.30</td><td>116.17</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>1700.03</td><td>3015.80</td><td>4715.88</td></tr>
</table>
</td><td>4715.83</td><td>2812.78</td></tr>
<tr><td>9</td><td>सेवा कर
<table>
<tr><td>1</td><td>अक्टूबर 2006 से मार्च 2007 के अवधि का एन. सी. एल. निगाही (प्रोजेक्ट विभाग) के लिए सेवा कर की मांग। आदेश संख्या 43/एस टी/कॉम/2013 दिनांक 28.03.2013)/सी ई एए टी ए टी, कोलकाता के पास अपील लम्बित है।</td><td>926.94</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अक्टूबर 2007 से मार्च 2010 के अवधि का एन. सी. एल. निगाही (प्रोजेक्ट विभाग) के लिए सेवा कर की मांग। आदेश संख्या 59/एस टी/कॉम/2016 दिनांक 13.04.2016)/सी ई एस टी ए टी, कोलकाता के पास अपील लम्बित है।</td><td>1224.09</td></tr>
<tr><td>3</td><td>शॉवल पूर्ति के लिए कन्ट्रेक्ट सेवा के कुछ अंश में सेवा कर की मांग। (आदेश संख्या वी (65) 34/एच ई सी, एडजन/रान 1/2015/8304 दिनांक 23. 09.2015). आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>221.05</td></tr>
</table>
</td><td>2372.08</td><td>2372.08</td></tr>
<tr><td>10</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>उत्पाद शुल्क</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>सीनवेट क्रेडिट के गैर रिवर्सल के लिए उत्पाद शुल्क की मांग जिसे हमलोगों ने उपयोग किया/लाभ और पूँजी हेतु वित्तीय विवरण 2010-11 से 2014-15 के (आर्डर सं. 05/सेन्ट्रल एक्साइज/कमि. 2017, 24.03.2017) में कुछ प्रावधान किया है। सी ई एस टी ए टी कोलकाता में अपील लम्बित है।</td><td>3540.54</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2015-16 से 2016-17 के दौरान इनपूट एवं कैपिटल गुड्स नन रिभर्सल ऑफ सिनवेट एक्साईज ड्यूटी के मांग जिसका उचित प्रावधान हमारे वित्तिय स्टेटमेंन्ट में लिया गया है। (आदेश संख्या 21/Central Excise/pr. Commr/2020 dt 31.07.2020)। सीईएसटीएटी कोलकाता में अपील लंबित है।</td><td>1217.72</td></tr>
</table>
</td><td>4758.26</td><td>3540.54</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>71386.00</td><td>69255.85</td></tr>
</table>

33.2 पुनरुत्थान पैकेज

(i) कम्पनी का खाता "गोइंग-कंसर्न" के आधार पर खोला गया था। बहुत बड़े नकारात्मक निवल मूल्य (नेगेटिव नेट वर्थ) के साथ युग्मित घाटे के लम्बे समय तक रहने के कारण कम्पनी को बीमार घोषित किया गया और उसे 24-02-1992 को बी आई एफ आर को भेजा गया। 26-08-1996 को बी आई एफ आर ने एक पुनर्वास पैकेज की मंजूरी दी जिसे भारत सरकार द्वारा 07-02-1997 को अनुमोदित किया गया। इसके बाद 06-07-2004 को बी आई एफ आर ने योजना विफल होने की घोषणा की और कंपनी को पूरी तरह से समटने या बंद करने का आदेश दिया।

(ii) उक्त समापन आदेश के खिलाफ कंपनी ने 18-08-2004 को झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समापन आदेश खारिज करने/रोक लगाने के लिये एक रिट याचिका संख्या 4513/04 दायर किया। झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने भारत सरकार, झारखण्ड सरकार एवं एच.ई.सी. को, एच.ई.सी. के पुनरुद्धार के लिये एक प्रस्ताव न्यायालय के सामने जमा करने का मौका दिया। इसके बाद दिनांक 9-9-2004 से 13-11-2009 के बीच कई सुनवाईयाँ हुईं और अंततः झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 13-11-2009 को भारत सरकार, झारखण्ड सरकार, एच. ई. सी. एवं उससे संबंधित पार्टियों को निर्देश दिया कि जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित किया गया था उसे अमल में लाया जाय और वाइंडिंग-अप को 2004 के सी. पी. संख्या 5 के साथ डबल्यू पी संख्या 4513 को बंद किया जाए, और आशा एवं उम्मीद जताई कि भविष्य में पिछली घटनाओं को दुहराया न जाए और एच.ई.सी., जो राष्ट्र का गौरव है, और सारी कंपनियों की मदर कंपनी है वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करें।

झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निम्नलिखित पुनरुत्थान पैकेज भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। इस तरह के प्रस्तावों का विवरण एवं उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार हैं :

(A) भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज की स्थिति :–

(7–10–2005 को बी. आर. पी. एस. ई. द्वारा अनुशंसित एवं 15–12–2005 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित)

	भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता	कार्यान्वयन की स्थिति
अ)	31.03.2005 को 1527.49 लाख रु. के योजना ऋण का इक्विटी में रूपांतरण	मार्च 2006 में कार्यान्वित
ब)	31-03-2005 तक गैर-योजना ऋण पर छूट और योजना एवं गैर-योजना ऋण पर ब्याज 110101.96 लाख रु.	मार्च 2006 में कार्यान्वित
स)	10200.00 लाख रुपये के गैर-योजना ऋण को 9203.00 लाख रुपये के बिना योजना ऋण के रुप में देना, 498.50 लाख रु. के योजना ऋण को, जो कंपनी द्वारा दोबारा तीन वर्षों में चुकता किया जाएगा और साथ ही साथ 498.50 लाख रु. इक्विटी के रूप में भी। (क्र.सं0 अ,ब,स 13.07.2006 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा अनुमोदित।)	मार्च 2006 में कार्यान्वित
द)	राज्य सरकार को पूर्व में ही किराए पर दिए गए आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों को झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण, कंपनी के ठेकेदारों तथा पूर्व कर्मचारियों के साथ लंबी अवधि पर आवासों के निपटान के लिए पट्टा (लीज), वाणिज्यिक एवं संस्थागत क्षेत्रों का निपटान तथा स्कूलों और अस्पतालों के निजीकरण के माध्यम से संसाधन जुटाना (लगभग 33000.00 लाख रु.)	आवासीय क्वार्टर के दीर्घकालीन पट्टे से कंपनी ने 8543.82 लाख रुपये अर्जित किए।

ब. भारत सरकार द्वारा सितंबर 2008 में अनुमोदित पुनरुत्थान योजना :

अ)	योजना ऋण (582.50 लाख) और गैर योजना ऋण (10221.00 लाख) का इक्विटी में रूपांतरण	मार्च 2009 में कार्यान्वित
ब)	2005-06 और 2006-07 में 4480.54 लाख बकाया ब्याज प्राप्त किया जिसे दिनांक 18.09.2008 तक इक्विटी में हस्तांतरण किया।	मार्च 2009 में कार्यान्वित
स)	कार्यशील पूंजी की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी गारंटी को 15000.00 लाख से 25300.00 लाख बढ़ाना	मार्च 2009 में कार्यान्वित
द)	सीआईएसएफ को कंपनी की भूमि के अनुरुप राशि का हस्तांतरण करके सीआईएसएफ के 7906.00 लाख रु. की देनदारी का निपटारा	7906.00 लाख रुपये की बकाया राशि के परिसमापन के लिए मार्च 2009 में 158 एकड़ भूमि सीआईएसएफ को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 2008 में भारत सरकार द्वारा सीआईएसएफ पर बकाया राशि 3790.62 लाख रु. पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज की माफी और 31-7-2008 के बाद ब्याज और दंडात्मक ब्याज पर निर्णय को अनुमोदित और कार्यान्वित किया गया था।

स. पुनरुद्धार पैकेज की स्थिति : डीएचआई, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार और एच.ई.सी. लिमिटेड के बीच सहमति व्यक्त की।

अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज — करोड़ रु. में

	सीसीईए	झारखंड सरकार की ओर से दायर हलफनामे और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय की मंजूरी के अनुसार।	माफ/समायोजित/प्राप्त की जाने योग्य राशि	माफ/समायोजित/प्राप्त की गई राशि	माफ/समायोजित/ प्राप्त की जाने योग्य शेष राशि
1	बिजली बकाया माफी विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं। परंतु 50000.00 लाख की बिजली बकाया राशि की माफी का प्रस्ताव झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत।	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के पश्चात, 30637.42 लाख रु. की बिजली बकाया राशि की माफी और विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) का जेएसईबी द्वारा अंतिम निष्पादन।	96984.68 लाख रु. कुल राशि की माफी/समायोजन किया जाना है।	85342.46 लाख (31.08.2008 तक 30637.42 लाख का बिजली बकाया और 54705.04 लाख का डीपीएस की माफी)	01.09.2008 से 31.03.2010 तक डीपीएस के विरुद्ध 11642.22 लाख रु. माफ किया जाना है।
2	3103.00 लाख का पीएचईडी बकाया माफ	31.03.2007 तक पी एच ई डी बकाया 3264.80 लाख की माफी।	3264.80 लाख (माफ)	3264.80 लाख (माफी)	कुछ नहीं

3	2551.00 लाख रुपये की बिक्री कर बकाया राशि की माफी	झारखण्ड सरकार ने सहमति व्यक्त की है कि एचईसी द्वारा 2551.00 लाख रुपये भुगतान को 31.03.2007 तक सभी वाणिज्यिक कर देयता का पूर्ण और अंतिम निपटान माना जाएगा, जिसमें विलंबित भुगतान के लिए दंड/ दंडात्मक ब्याज आदि भी शामिल है, जो सीटी दायित्व के आकलन से संबंधित है। इसके अलग दायित्व और बाद में पाये गये किसी भी दायित्व को प्रासंगिक कानून/दिशानिर्देशों के अनुसार माना जाएगा।	1) झारखण्ड सरकार द्वारा 2551.00 लाख का भुगतान किया जाना है। 2) कंपनी को झारखण्ड सरकार के पास 2551.00 लाख़ रुपये जमा करना है। 3) 31.03.2007 तक सभी वाणिज्यिक कर देयता पर माफी का आदेश झारखण्ड सरकार द्वारा जारी किया जाना है।	1) 2551.00 लाख मिला 2) वाणिज्यिक कर के एवज में एचईसी द्वारा 2551.00 लाख रुपये जमा किए गए। 3) आदेश जारी नहीं किया गया	1) कुछ नहीं 2) कुछ नहीं 3) झारखण्ड सरकार द्वारा 31.03.07 तक सभी बकाया राशि पर माफी के लिए आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।
4	भविष्य में किसी प्रकार की भूमि या भवन के हस्तांतरण की प्रतिबद्धता के बिना एचईसी को झारखण्ड सरकार से 25000.00 लाख रुपये प्राप्त करने के लिए अधिकृत करना	27551.00 लाख रुपये का अनुदान जिसमें ऊपर क्र. सं. 3 में उल्लेखित 2551.00 लाख रुपये शामिल है।	27551.00 लाख़ रुपये	20021.00 लाख प्राप्त हुआ PMAY-U से 2633.00 लाख समायोजित हुआ। प्राप्त रु. 4897.47 लाख (रु.1439.80 लाख) 25.06.2020, रु. 3457.20 लाख 5.11.2020 और 0.47 लाख 11.01.2021	कुछ नहीं
5	एचईसी को 2342 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए झारखण्ड सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुमति देना। इसमें इमारत के लिए संबंधित भूमि की 85 एकड़ जमीन भी शामिल है।	एचईसी को झारखण्ड सरकार को 2342 एकड़ भूमि सौंपना है।	झारखण्ड सरकार को 2035.14 एकड़ भूमि पर अधिकार दे दिया गया है जिसमें लिए हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया गया। शेष 306.86 एकड़ भूमि को अतिक्रमण हटाने के बाद सौंप दिया जाएगा। पत्रांक सं.-7 05/02/2019 पीइ-5 एमएसआइ एण्ड पीईडिएचआइ, 21.10.2019 प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के प्रावधान के अनुसार, झारखण्ड सरकार को 107.28 एकड़ भूमि के लिए किसी भी पैसे का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी- उक्त 306.86 एकड़ जमीन में से उसी का उपयोग किया जाएगा। पात्र झुग्गी निवासियों के लिए PMAY-U के तहत किफायती आवास परियोजना (एस) के लिए सरकार। शेष 199.58 एकड़ का उपयोग पीएमवाई-यू के अलावा शहरी विकास योजनाओं के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए उसे आनुपातिक राशि का भुगतान करना होगा।		

6	एचईसी को 17 इमारतों और 1155 आवासीय क्वार्टर के साथ-साथ 14223.00 लाख मूल्य की सटी हुई जमीन को झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अनुमति देना।	एचईसी को 17 गैर आवासीय इमारत तथा 1148 आवासीय क्वार्टर झारखण्ड सरकार को सौंपना है।	17 गैर आवासीय भवनों, 1148 आवासीय भवनों तथा संबंधित भूमि के 85.11 एकड़ पर पहले से ही झारखण्ड सरकार को 31.03.2009 तक के लिए किराए पर देने के लिए अधिकृत किया जा चुका है और इसे झारखण्ड सरकार को सौंप दिया गया। भवनों का पंजीकरण अभी किया जाना बाकी है।

33.3) दिनांक 12.04.2017 को भारत सरकार द्वारा निगम की 675.43 एकड़ जमीन को 74298.00 लाख रु. में झारखण्ड सरकार को हस्तान्तरण हेतु अनुमोदन दिया गया। दिनांक 23.05.2018 को हस्तांतरण विलेख अनुसार 675.43 एकड़ जमीन में से 508.44 एकड़ जमीन को 55928.40 लाख रु. में झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण किया गया और दिनांक 31.03.2020 तक 55928.40 लाख रु. और हस्तांतरण विलेख के अनुसार दिनांक 17.01.2019 को 16264.60 लाख रुपया में 147.86 एकड़ जमीन झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण किया गया। कुल 72193.00 लाख रुपया में 31.02.2021 तक मात्र 67957.00 लाख रुपया प्राप्त किया एवं बकाया राशि 4236.00 लाख रुपया टिप्पणी संख्या 21 में झारखण्ड सरकार से प्राप्य योग्य हेतु दर्शाया गया है।

भारत सरकार ने झारखण्ड सरकार को एच.ई.सी. भूमि के हस्तान्तरण के कारण पूँजीगत लाभ कर देयता को पूरा करने के लिए स्वीकृत अनुदान के उपयोग करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। डिएचआइ, झारखण्ड सरकार से बाकी की प्राप्त सभी का उपयोग कार्यशील पूँजी के रूप में करने की अनुमती दिया है।

33.4) 31.03.2021 तक 5 क्युबिक मीटर हाईड्रोलिक एक्सवेटर - एच.ई.एक्स-400 के विकास हेतु प्रोजेक्ट में डी.एच.आई. का अनुदान राशि 500.00 लाख रु. (विगत वर्ष 500.00 लाख) एस.ई.सी. द्वारा प्राप्त किया और दिनांक 31.03.2021 तक 573.06 लाख रु. का उपयोग किया गया। उपयोग राशि डब्लू आई पी एवं अनुदान को चालु दायित्व में नोट संख्या 09 पर दर्शाया गया है।

33.5) डी.एच.आई. द्वारा 5000.00 लाख रु. कोमन इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र के लिए एच.ई.सी. में प्रशिक्षण संस्थान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त रकम 5000.00 लाख रु. में सरकारी अनुदान रकम 3000.00 लाख रु. और एच.ई.सी. द्वारा रकम 2000.00 लाख रु. का योगदान होगा।

डी.एच.आई. एवं कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र के बीच दिसम्बर, 2006 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया गया है। जिसमें प्रशिक्षण, स्कील विकास, कन्सल्टेशन एवं विकास और वितरण, आविष्कार, प्रौद्योगिकों की विपणन हेतु व्यवस्था की गई है। इसमें मेल्टिंग, स्टील मेकिंग, वेल्डिंग, गीयर का निर्माण इत्यादि है।

दिनांक 24.12.2016 को एच.ई.सी. एवं सी.ई.एफ.सी., प्रथम के बीच करार में हस्ताक्षर हुआ। एच.ई.सी. प्रर्यवेक्षण कम्पनी एवं सीईएफसी, प्रथम इसको कार्यान्वित करने वाला कम्पनी होगा।

दिनांक 31.03.2020 तक इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा रकम 1675.00 लाख रु. और एच.ई.सी. द्वारा 737.89 लाख रु. तक योगदान दिया गया। (वित्तीय वर्ष 2018-19 498.00 लाख रु., वित्तीय वर्ष 2017-18), 128.14 लाख रु. वित्तीय वर्ष 2016-17, 111.75 लाख रु.) जो एचईसी लेखा में दर्शाया गया है। पत्रांक 12/26/2015 एच ई एवं एम टी दिनांक 11.01.2019 के अनुसार एचईसी को फंड की हस्तांतरण एवं अन्य सम्पत्ती और दायित्व देने के बाद सीईएफसी, प्रथमा फाउन्डेशन की बन्दी पर डी एच आई द्वारा जरूरी कार्रवाई के करने हेतु फैसला लिया है।

सीईएफसी प्रथम का सम्पती की हस्तांतरण और दायित्व का भुगतान सीइएफसी के अंकेक्षण के बाद का प्रगति पर है। अतः लेखा में सम्पत्ती और दायित्व नहीं दर्शाया गया है। वित्तिय वर्ष 2019-20 में सी ई एफ सी, प्रथम से स्क्रो खाना में रकम 190.00 लाख रु. प्राप्त हुआ है 450.38 लाख रुपये सीइएफसी के लिए स्क्रो अकाउण्ट में रखा गया, जो लेखा के दायित्व पर टिप्पणी संख्या 9 अन्य चालू दायित्व में दर्शाया गया है।

33.6) सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 में ग्रेच्युटी देयता को समाप्त करने के लिए ₹ 4789.00 लाख का गैर-योजना ऋण प्रदान किया जो 2015-16 से प्रति वर्ष पाँच वार्षिक किश्तों में देय होगी। वित्तीय संकट के कारण कम्पनी उस किश्त और ब्याज का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। दिनांक 31.03.2021 को ब्याज/पेनल ब्याज सहित रु. 10678.34 बकाया है।

33.7) 1995-96 तक दीर्घकालीन लीज़ में 16357.06 लाख रुपया प्राप्त किया। लीज़ काल में 574.33 लाख रु. (विगत वर्ष 574.33 लाख रु.) को आय में परिशोधित किया गया था और पूंजी आरक्षित टिप्पणी संख्या 3 में समंजन किया गया है।

33.8) 1542.48 लाख रुपयों का इंटरप्लांट हस्तांतरण (पिछले वर्ष 3209.46 लाख) कंपनी के संचालन के कुल राजस्व से बाहर रखा गया है।

33.9) 31.03.2021 को या उससे पहले प्रभावित बिक्री को 26.04.2021 तक ग्राहक के समक्ष प्राप्त किया गया, यह प्रचलन राजस्व माना गया है।

33.10) डी.एच.ई. से दिनांक 01.01.2017 से वेतन पुनरीक्षण से संबंधित किसी दिशानिर्देश/अनुदेश के अभाव में, वर्ष के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

33.11) वित्तीय संकट के कारण, कम्पनी समवर्ती आधार पर अनुसूची के समय के अनुसार ग्रेच्युटी देयता 3223.79 लाख रु. को चुकाने की स्थिति में नहीं है और विलम्ब पर विलम्ब का कोई प्रावधान किया गया है।

33.12 (अ) परिचालन से राजस्व अनुमोदित विलिंग कार्यक्रम एवं समस्त कार्य के रियर के विलिंग देन और निरीक्षण के आधार पर भुगतान की शर्त इन दोनों के आधार पर प्रोजेक्ट डिवीजन द्वारा निष्पादित प्रमुख अनुबन्ध (पिछले वर्ष 9550.56 लाख रु.) के मद्देनजर 2312.34 लाख रु. की राशि शामिल है।

01.04.2003 को या उसके बाद निर्माण संविदा से संबंधित खुलासे लेखांकन मानक एएस-7 (संशोधित) के आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार हैं :

लाख रु. में

	2020-21	2019-20
वर्ष के दौरान चिन्हित अनुबंध राजस्व	**9550.56**	2312.34
31.03.2021 तक अनुबंध की प्रगति के संबंध में		
लागत खर्च और चिन्हित लाभ (न्यूनतम चिन्हित हानियां)	**147895.24**	138344.68
प्राप्त अग्रिम की राशि	**135327.54**	132565.01
प्रतिधारण की राशि (अस्थगित ऋण)	**0.00**	0.00
उचित नेटिंग ऑफ के बाद ग्राहकों से बकाया राशि के संबंध में		
एक परिसंपत्ति के रूप में ठेका पर काम करने के लिए ग्राहकों से बकाया सकल राशि	**12567.70**	5779.67
एक दायित्व के रूप में ठेका पर काम करने के लिए ग्राहकों पर बकाया सकल राशि	**10.33**	10.33
आकस्मिक व्यय	**कुछ नहीं**	कुछ नहीं

(ब) निर्माण संविदा के संबंध में 1 अप्रैल 2003 को या उससे पहले के कुल लागत और कुल राजस्व का अनुमान लेखा मानक (एएस) - 7 (आर) के अनुसार निर्माण संविदा पर प्रबंधन द्वारा समीक्षा की गयी, उसे समयानुसार नवीनतम बनाया गया एवं चालू वर्ष के खाते में आवश्यक समायोजन किए गये।

33.13) फुटकर देनदार की शेष राशि की पुष्टि के लिये प्रमुख ग्राहकों के लिये पत्र जारी करने के बावजूद ग्राहकों से आज तक कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। जमा, ऋण और अग्रिम, विविध लेनदार आदि के बारे में पुष्टि, संबंधित पक्षों से प्राप्त नहीं की जा सकी।

33.14) सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित अतिदेय राशि पर ब्याज नहीं दिया गया। उसी को नीचे दर्शाया गया है-

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, 2006		
		लाख रु. में
	2020-21	2019-20
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में विलंबित भुगतान बकाया के कारण		
सिद्धांत	666.78	1483.74
ब्याज	2280.11	2301.74
अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष के दौरान सभी विलंबित भुगतान पर दिया गया कुल ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं
इस अधिनियम के तहत ब्याज की राशि के बिना वर्ष के दौरान देय तिथि के बाद मूलधन राशि पर बकाया ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं (वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज दर्शाया गया है लेकिन बकाया नहीं है क्योंकि ब्याज देय तिथि से मासिक आधार पर गणना की जाती है)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया (सभी ब्याज राशि जो पूर्व के वर्षों से बकाया है को एक साथ दर्शाया गया है जबतक कि ब्याज वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है। मुख्य रूप से आयकर प्रयोजन के लिए गैर स्वीकार्य ब्याज राशि का पता लगाने के लिए)	कुछ नहीं	कुछ नहीं

33.15 विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) संस्थान द्वारा जारी एएस-22 के रूप में अस्थगित कर परिसंपत्तियों (नेट) को वहां आभासी निश्चितता के अभाव में मान्यता प्रदान नहीं किया गया, जो ठोस सबूत द्वारा समर्थित है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध रहेगा जिसके खिलाफ इस तरह के अस्थगित कर संपत्ति को महसूस किया जा सकता है।

33.16 व्यवस्था का विवरण :

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 01.04.2020 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़े : अवधि के दौरान व्यवस्था बनाया	घटाये : अवधि के दौरान व्यवस्था का उपयोग	घटाये : अवधि के दौरान अनुपयोग व्यवस्था का रिर्वस किया	दिनांक 31.03.2021 को समापन शेष
1	बोनस के लिए प्रावधान	145.64	131.17	145.64	0.00	131.17
2	अप्राप्य एवं संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था	19767.81	2924.61	106.65	0.00	22585.77
3	ग्राहक द्वारा प्राप्त हरजाना के लिए व्यवस्था	6608.92	413.42	0.00	0.03	7022.31
4	दावा प्राप्त हेतु व्यवस्था	4666.34	0.00	0.45	0.00	4665.89
5	अन्य के साथ संदेहात्मक जमा हेतु व्यवस्था	191.90	48.02	7.71	0.00	232.21
6	सप्लाइर/सब-ठेकेदार के लिए संदेहात्मक अग्रिम हेतु व्यवस्था	702.89	8.43	133.21	0.00	578.11
7	विवादित केस, जॉब, इ.एम.डी, एस.डी अग्रिम, बैट, प्राप्ति हेतु व्यवस्था	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20
8	वस्तु सूचि के लिए व्यवस्था	3526.27	277.40	146.02	90.82	3566.83
9	उपदान हेतु व्यवस्था	6567.97	132.44	68.60	0.00	6631.81

10	छुट्टी नकदीकरण हेतु व्यवस्था	3406.06	219.60	9.60	0.00	3616.06
11	सेवानिवृत यात्रा भत्ता का व्यवस्था	52.68	5.25	0.00	0.00	57.93
12	एल.टी.सी./एल.टी.ए के लिए व्यवस्था	157.35	37.74	17.70	5.46	171.93
13	वेतन पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था	124.89	0.00	0.53	0.00	124.36
14	वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था	54.78	274.95	1.50	9.16	319.07

33.17 937.50 Kg निकेल एवं 491.00 Kg फेरोएलॉए दिनांक 29.09.2020 से 12.10.2020 के बीच मेन स्टोर एफएफपी से लापता पाया गया जिसका एफआईआर 16.10.2020 को किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान 15.18 लाख रु. इन्वेंन्ट्री के लिए प्रावधान किया गया है। 15.18 लाख रु. के लिए 13.10.2020 को इन्स्यूरेंन्स क्लेम दर्ज कराया गया है।

33.18 रुपये 42.00 लाख का नन फेरस कॉस्टींग आईटम कन्टेनर एवं भंडार/010 Shop/HMBP से 29.5.2021 को लापता पाया गया जिसका एफआईआर 09.06.2021 को केश नं. 102/21 माध्यम से किया गया।

33.19 वर्ष के दौरान पूर्व अवधि समायोजन (लेखानीति संख्या-17) के लिए लेखानीति में जोड़ है एवं बदलाव के कारण, वर्ष 2020-21 के लेखा खाता में कोई प्रभाव नहीं है।

33.20 1 अप्रैल, 2007 के संशोधन नियमों (वित्तीय मानक), 2008 के तहत कंपनी लेखा जोखा मानक 15 द्वारा किए गए संशोधन (पुनरीक्षित 2005) के तहत कर्मचारियों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए बाध्य है :

(अ) आईसीएआई (ICAI) के द्वारा जारी पुनरीक्षित लेखा मानक 15 - कर्मचारी हितों के प्रावधानों के तहत कंपनी 31 मार्च 2021 तक कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए कृत संकल्प है।

(ब) 31 मार्च, 2021 को वास्तविक मूल्य निर्धारण के अनुसार हितों के प्रावधानों को परिभाषित किया जाए।

(1) **उपदान -** कर्मचारी जो 5 वर्ष या इससे अधिक कम्पनी की सेवा करते हैं उन्हें 15 दिन का वेतन प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर सेवानिवृति के उपरांत उपदान स्वरुप देय होगा। उपदान की देय राशि 20 लाख तक सीमित है।

(2) **छुट्टी नकदीकरण -** अर्जित अवकाश की राशि सेवानिवृति होने पर पूरा देय होगा। अर्जित अवकाश अधिक से अधिक पूर्ण सेवा काल तक 300 दिन ही जमा कर सकते हैं। जमा किए गए अर्जित अवकाश की नकदीकरण एक कैलेण्डर वर्ष में एक ही बार 30 दिन का देय होगा।

(3) **भविष्य निधि -** मूलवेतन और मंहगाई भत्ता के 12% राशि कम्पनी की भविष्य निधि संगठन के ट्रस्ट में जमा होता है।

(4) **सेवानिवृति के बाद का फायदा -** सेवानिवृति उपरान्त कर्मचारियों को अपने स्थायी गृह स्थान तक जाने को राशि देय है।

(5) भविष्य निधि न्यास को वर्ष के दौरान देय/देय कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी के प्रोविडेंटफंड ट्रस्ट को कर्मचारियों के भविष्य निधि और विविध प्रावधानों अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट दी गई है। छूट के अनुदान की शर्तें यह निर्धारित करती हैं कि नियोक्ता ट्रस्ट विज़ द्वारा घोषित ब्याज दर में, यदि कोई हो, तो अच्छी कमी करेगा। ए-विज़ सांविधिक दर। कंपनी भविष्य निधि के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर खातों में पहले से ही पर्याप्त प्रावधान कर चुकी है।

(6) प्रोविडेन्ट फंड के अलावा परिभाषित लाभ दायित्व अनफंड है।

(7) लेखा मानक (ए. एस) - 15 (कर्मचारियों के लाभों पर संशोधित) के तहत उपेक्षित अन्य प्रकटीकरण निम्नलिखित है :-

लाख रु. में

	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	निवृति यात्रा भत्ता
मार्च 31, 2021 के लिए वर्ष की समाप्ति पर लाभ व हानि के आधार पर खर्च का ब्यौरा			
1. तात्कालिक सेवा मूल्य	356.47	394.57	4.34
2. पूर्व सेवा मूल्य	0.56	0.00	0.00
3. ब्याज सेवा मूल्य	436.46	226.34	3.50
4. एचपीएल के कारण अनुग्रह राशि में कटौती	0.00	0.00	0.00
5. वर्ष के दौरान वास्तविक लाभ या हानि का लेखा जोखा	(181.32)	(187.81)	0.91
कुल खर्च	612.17	439.10	8.75
बैलेंस शीट में वर्णित वास्तविक सम्पत्ति (जिम्मेदारी)			
1. अनुग्रह का वर्तमान मूल्य (तात्कालिक)	687.33	917.94	3.79
2. अनुग्रह का वर्तमान मूल्य गैर (तात्कालिक)	5944.50	2698.12	54.14
3. अनुदान का लेखा जोखा	(6631.83)	(3616.06)	(57.93)
4. बैलेंस शीट में चिन्हित वास्तविक सम्पत्ति	6631.83	3616.06	57.93
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान अनुग्रह राशि के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन			
1. 1 अप्रैल 2020 को अनुग्रह राशि का तात्कालिक मूल्य	6567.97	3406.05	52.69
2. वर्तमान सेवा दर	356.48	394.57	4.34
3. ब्याज दर	436.46	226.34	3.50
4. पिछला सेवा दर	0.00	0.00	0.00
5. अनुदान देय	(547.76)	(229.09)	(3.52)
6. अनुग्रह पर वास्तविक लाभ या हानि	(181.37)	(181.81)	0.91
7. 31 मार्च 2021 को अनुग्रह राशि का तात्कालिक मूल्य	6631.83	3616.06	57.92
अनुमानित ब्यौरा			
1. छूट दर	6.70%	6.70%	6.70%
2. क्षतिपूर्ति दर में बढ़ोतरी	8.00%	8.00%	8.00%
3. मोरटेलिटी दर एलआईसी (2006-2008) टेबल			

33.21) ICAI द्वारा वित्तीय मानक-17 (AS-17) द्वारा जारी खंड युक्त सूचनाओं की प्रस्तुति निम्नलिखित है-
विभिन्न व्यवसायिक इकाइयों (खंडों) 2020-2021 के बारे में सूचनाएँ :--

(लाख रु. में)

	एफ.एफ.पी प्लांट	एच.एम.बी.पी. प्लांट	एच.एम.टी.पी. प्लांट	प्रोजेक्ट (टर्नकी)	एच.ई.सी.
राजस्व					
बाहरी बिक्री	1119.48	9123.38	482.85	9550.56	20276.27
इंटर-प्लांट/अपने उपयोग के लिए किया गया कार्य	2212.36	280.09	115.64	0.00	2608.09
कुल राजस्व	**3331.84**	**9403.47**	**598.44**	**9550.56**	**22884.36**
कुल लाभ (ब्याज पूर्व कर पश्चात)	**(8300.23)**	**(6502.32)**	**(1100.51)**	**1074.63**	**(14828.43)**
ब्याज	1154.78	1457.22	137.47	0.00	2749.47
कुल लाभ	**(9455.01)**	**(7959.54)**	**(1237.98)**	**1074.63**	**(17577.90)**
विशेष वस्तुएं	1469.38	2791.82	636.27	0.00	4897.47

	एफ.एफ.पी प्लांट	एच.एम.बी.पी. प्लांट	एच.एम.टी.पी. प्लांट	प्रोजेक्ट (टर्नकी)	एच.ई.सी.
पूर्व के समय में हुई आमदनी	296.20	(35.90)	(8.19)	0.00	252.11
सामान्य गतिविधियों से कुल लाभ (कर पश्चात)	(11220.59)	(10715.46)	(1866.06)	1074.63	(22727.48)
अन्य सूचनाएँ					
सम्पत्ति के खंड	14171.42	22647.24	2864.55	8578.19	48261.40
वर्ष के दौरान वृद्धि	(427.80)	14.82	0.53	2.03	(410.42)
अविभाजित सम्पत्ति					12401.16
कुल सम्पति					60252.14
खंडों की जवाबदेही	32830.88	15694.46	2129.11	13488.67	64143.12
अविभाजित खंडों की जवाबदेही					54334.18
कुल देयताएं					118477.30
पूंजी खर्च	(996.50)	(566.88)	0.53	2.03	(1560.82)
अविभाजित पूंजी खर्च					107.24
कुल पूंजी खर्च					(1453.58)
मूल्यह्रास	451.57	66.83	20.45	1.14	539.99
अविभाजित मूल्यह्रास					66.12
कुल मूल्यह्रास					606.11

33.22) ICAI द्वारा वित्तीय मानक -18 (AS & 18) द्वारा पार्टी से संबंधित आवश्यक सूचनाओं की प्रस्तुति निम्नलिखित है -

संबन्धित पार्टी का ब्यौरा लेन देन का विवरण (लाख रु. में)

	मुख्य प्रबंधन कर्मचारी	अवधि	पारिश्रमिक	सत्रीय लाभ
1	श्री नलिन सिंघल सीएनडी (अतिरिक्त प्रभार)	04/2020 - 03/2021	0.00	0.00
2	श्रीमती अरून्धती पंडा निदेशक (वित्त)	04/2020 - 03/2021	34.40	3.58
3	श्री मृदुल कुमार सक्सेना सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार एवं निदेशक कार्मिक)	04/2020 - 03/2021	30.83	3.36
4	डॉ. राणा एस. चक्रवर्ती निदेशक (विपणन)	04/2020 - 03/2021	30.55	3.36
		कुल	**95.78**	**10.30**

उपरोक्त के अलावा उन्हें (डॉ. नलिन सिंघल को छोड़कर) घर, कार इत्यादि रियायती दर पर मिलता है।

33.23) कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में घाटे की स्थिति में यह कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के खाते में ऐसा कोई घाटा परिलक्षित नहीं है।

33.24) वर्ष के दौरान कुछ विशेष क्षेत्रों में जैसे परिवहन और चिकित्सा, जैसे खुदरा सामान, दवाएँ और अन्य वस्तुओं को खर्च हो चुका माना गया।

33.25) 31.03.2021 को कम्पनी का नेटवर्थ निगेटिव था चूँकी कम्पनी अनलिस्टेड है अतएव वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईएनडी ए.एस लागु नहीं है।

33.26) हमारे विचार से केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर हमारे दावे और केन्द्रीय विद्यालय का 140.23 लाख रु. की दावा, जो कागजात के अभाव में प्रप्री नहीं है और इसलिए इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।

33.27) विगत वर्षों के हिसाब या लेखा जोखा को पुनर्विभाजित, पुनर्वर्गित, पुनर्परिभाषित और पुनर्व्यवस्थित करना है ताकि चालू वर्ष की तुलना में उसे और व्यावहारिक बनाया जा सके।

33.28 अतिरिक्त सूचना

₹ लाख में

			चालू वर्ष	विगत वर्ष
अ.	1.	उन कर्मचारियों का विवरण जो पूरे वर्ष भर नियोजित थे एवं जिनका वार्षिक परिश्रमिक (लाभों सहित) 60,00,000.00 रुपये या इससे ज्यादा था या ऐसे कर्मचारी जो एक वर्ष से कम समय के लिए नियोजित थे एवं जिनका मासिक पारिश्रमिक (लाभों सहित) 5,00,000.00 रुपये या इससे ज्यादा था।	शून्य	शून्य
अ.	2.	**लेखा परीक्षक व्यय**		
	(i)	सांविधिक लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	2.25	2.25
	(ii)	कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.38	0.38
	(iii)	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.15	0.13

(ब) कच्चे माल, अवययों, भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों की खपत मूल्य (तैयार माल की खरीद सहित) तथा उनकी प्रतिशतता

₹ लाख में

		2020 - 21		2019 - 20	
(ए)	**कच्चे माल**	**मूल्य**	**%**	**मूल्य**	**%**
	(1) आयातित	701.31	10.58	1494.01	17.55
	(2) स्वदेशी	5924.54	89.42	7017.04	82.45
	योग	**6625.85**	**100.00**	**8511.05**	**100.00**
(बी)	**भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे (मरम्मत तथा रख रखाव के लिए प्रयोग में लाये गए भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे सहित)**				
	(1) आयातित	24.81	0.48	375.53	5.90
	(2) स्वदेशी	5192.79	99.52	5987.10	94.10
	योग	**5217.60**	**100.00**	**6362.63**	**100.00**

टिप्पणी : निर्धारित एजेन्सियों द्वारा आयातित वस्तुओं को छोड़कर

(स) सी.आई.एफ. के आधार पर आयात का मूल्य

कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जे, जी.आई.टी अवयव	489.02	100.00	1343.00	100.00
योग	**489.02**	**100.00**	**1343.00**	**100.00**

एच. एम. बी. पी. के मामले में कच्चा माल, स्पेयर पार्ट्स के सी. आई. एफ. मूल्य में सामग्री का दाम एवं सामग्री दाम का 5.5 प्रतिशत बीमा और भाड़ा के लिए सम्मिलित है।

(द) विदेशी मुद्रा में व्यय

विदेश यात्रा-भत्ता विदेश यात्रा भत्ता	0.00	5.48
योग	**0.00**	**5.48**

33.28) नोट संख्या 1 से 32 और मुद्रा संबंधी तथ्य इस खाते के अभिन्न अंग है।

(ए. के. कंठ)	**(आर. के. श्रीवास्तव)**	**(अरून्धती पंडा)**	**(डॉ. नलिन सिंघल)**
कम्पनी सचिव	उप महाप्रबंधक (ए&बी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टड अकाउटेंटस

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 21074749AAAACE5125

स्थान - राँची

दिनांक - 02.11.2021

कंपनी की कार्यक्षमता

प्लांट विविध उत्पादों का निमार्ण करने में समथ है, जिसमें कुछ उत्पादों का विवरण निम्नांकित है:

फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट

आयरन कास्टिंग्स	: 100 टन वजन तक
स्टील कास्टिंग्स	: 90 टन वजन तक
नन-फेरस कास्टिंग्स	: 2 टन वजन तक
फोर्जिंग्स	: 40 टन वजन तक
रॉल्स	: हॉट रॉलिंग मिल, स्लैबिंग, ब्लोमिंग मिल हेतु 40 टन वजन तक फोर्ज्ड इंडक्शन हारडेंड रॉल्स, एस.सी., आयरन रॉल्स

हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट

- ब्लास्ट फर्नेस : क्षमता 1719,2000 एवं 3200 घन मी.
- कोक ओवेन बैटरिज : 4.3 से 7 मी. की ऊँचाई
- सिन्टरिंग प्लांट्स : आकार 75 वर्ग मी., 80 वर्ग मी., 252 वर्ग मी. एवं 312 वर्ग मी.
- 100 टन/130 टन एवं 300 टन एल.डी कन्वर्टर्स समेत स्टील मेल्टिंग शॉप इक्विपमेंट
- कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन : स्लैबस एवं ब्लूम्स हेतु
- रॉलिंग मिल इक्विपमेंट
- इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल्सः क्षमता 5 घन मी., 12.5/15 घन मी.
- हाईड्रोलिक शॉवेल्सः क्षमता 3 से 8 घन मी.
- वाकिंग डैगलाइन्स 20/90 एवं 24/96
- उच्च शक्ति के मेटालर्जिकल क्रेन एवं अन्य ई.ओ.टी. क्रेनः क्षमता 450 टन एवं रोटेटिंग टौंग क्रेन
- मैटेरियल हैण्डलिंग इक्विपमेंट यथा-वैगन टीपलर, एप्रॉन फीडर, रिक्लेमर्स आदि।
- मूल उद्योगों की जरूरत हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण यथा प्राइमरी जाइरेटरी एवं अन्य क्रसर्स
- ओवर बर्डेन ब्लॉस्ट होल ड्रिल्सः 250 मि.मी. व्यास
- प्रोजेक्ट डिवीजन निम्नांकित क्षेत्रों में टर्न-की आधारित प्रोजेक्टों का कार्य निष्पादन करने में समर्थ है :
  - मैटेरियल हैंडलिंग सिस्टम
  - कोल डीगेशन प्लांट
  - कोल डीगैसीफिकेशन प्लांट
  - स्टील प्लांट फैसिलिटीज यथा : सिन्टरिंग प्लांट, कंटिन्यूअस कास्टिंग प्लांट एवं कोक ओवेन बाई-प्रोडेक्ट प्लांट
  - सीमेंट प्लांट

हेवी मशीन टूल्स प्लांट

रेलवे हेतु विशेष प्रयोजनार्थ मशीन टूल्स समेत विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स, इसके साथ-साथ प्लांट कुछ मॉडल के सी.एन.सी मशीन के उत्पादन में भी समर्थ है।

CAPABILITIES OF THE COMPANY

The plants can manufacture various products, some of which are as here under:

Foundry Forge Plant

Iron Castings	- Weighing upto 100 T
Steel Castings	- Weighing upto 90 T
Non-Ferrous Casting	- Weighing upto 2 T
Forgings	- Weighing upto 40 T
Rolls	- Forged induction hardened Roolls weighing upto 40 T for Hot Rolling Mils, Slabbing Mills, Blooming Mills, SG Iron Rools etc.

HEAVY MACHINE BULDING PLANT

- Blast Furance of Capacity 1719,2000 and 3200 Cu. M
- Koke Oven Batteries from 4.3 to 7m height
- Sinter plants of 75M2, 80 M2 252m2 and 312 M2 sige
- Steel Melting Shop Equipment Inclusive of 100T/130T and 300T L.D. Converters
- Continuous Casting Machines for Stabs & Blooms
- Rollin Mill Equipment
- Electric Rope Shovels of capacity 5 M3, 10M3, 12.5/15M3
- Hydrualic Shovels of 3 to 8 Cu. M. capacity
- Walking Draglines 20/90 and 24/96
- Metallurgical Cranes and other EOT Cranes of high capacity up to 450 T and Rotating Tong Cranes
- Material Handling equipment namely, Wagon Tippler, Apron Feeder, Reclaimers etc.
- Various other equipment namely, Primary Gyratory and other Crushers needed by core sector industries.
- Over Burden Blast Hole Drills-Dia 250 mm
- The Project Division can take up execution of projects of turnkey basis in the following areas
  - Material handlling system
  - Coal Deshelling Washery
  - Caol Degasification Plant
  - Steel Plant facilities like Sintering Plant, Continuous Costing Plant and Coke Oven By-Product Plant
  - Cement Plants

HEAVY MACHINE TOOLS PLANT

Various types of machine tools including special purpose machine tools for Railways. The plants is capable of producing CNC Machine Tools of some models as well.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

एच. ई. सी.

HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED

Corporate Office

Plant Plaza Road, Dhurwa, Ranchi, 834004, Jharkhand (India)
Phone : +91 651 2401249 / 2401176 | Fax +91 651 2400579 / 2401571
Email : corpmktg@hecltd.com

Branch Office

New Delhi
Heavy Engineering Corporation Limited, E-84, Masjid Moth, Greater Kailash-III
New Delhi - 110 048 | Tel : +91 11 29220224, 41437422 | Fax : +91 11 29220225
E-mail : hecdelhi@hecltd.com

Kolkata
Heavy Engineering Corporation Limited, 77, Park Street, Kolkata - 700 016
Tel : +91 33 22172397, 22290661 | Fax : +91 33 22291509
E-mail : heckolkata@hecltd.com

2947_21_Kailash Paper, Ranchi • 1800 889 4101